[2023] 7 एस. सी. आर 185

भारत और ओआरएस का संघ।

वी.

कॉस्मो फ़िल्में सीमित

(2023 की सिविल अपील संख्या 290)

अप्रैल 28,2023

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.]

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992-विदेशी व्यापार नीति (एफ. टी. पी.)-प्रक्रियाओं की पुस्तिका (एच. बी. पी.)-अधिसूचना (आई. डी. 1)/2015-सीमा शुल्क को मूल सीमा शुल्क, अतिरिक्त शुल्क (प्रतिपूरक शुल्क, विशेष अतिरिक्त शुल्क), सुरक्षा शुल्क और एक वैध अग्रिम प्राधिकरण (ए. ए.) के खिलाफ आयातित आदानों पर डंपिंग रोधी शुल्क के भुगतान से छूट दी गई-जी. एस. टी. व्यवस्था की शुरुआत पिछले वर्ष से की गई थी।

उपरोक्त अधिसूचना में आई. जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर-अधिसूचना संख्या 79/2017 से संबंधित संशोधन किया गया था, सीमा शुल्क ने आई. जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट देकर उपरोक्त अधिसूचना में संशोधन किया, बशर्ते कि -

निर्यात दायित्व केवल भौतिक निर्यात द्वारा पूरा किया जाएगा और यह 'पूर्व-आयात शर्त' के अधीन भी होगा-अधिसूचना संख्या 33/2015-2020 भी जारी की गई थी, जिसमें एफ. टी. पी. के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया गया था, जिसके तहत इस 'पूर्व-आयात शर्त' को पैराग्राफ 4.14 में शामिल किया गया था-उच्च न्यायालय ने एफ. टी. पी. और एच. बी. पी. में शामिल 'पूर्व-आयात शर्त' की अनिवार्य पूर्ति को खारिज कर दिया।

उपरोक्त दो अधिसूचनाएँ-उच्च न्यायालय के अनुसार, निर्यात वस्तुओं के उत्पादन के लिए भारत में आयातित इनपुट पर आई. जी. एस. टी. और जी. एस. टी. क्षतिपूर्ति उपकर से छूट का दावा करने के लिए ए. ए. के बल पर इस तरह की पूर्ति मनमाना और अनुचित थी -

आयोजित की स्थिरता - टिकाऊ निर्यातकों को जी. एस. टी. लागू होने के कारण हुए परिवर्तनों के बारे में जागरूक नहीं किया गया था।

एक व्यापार सूचना के माध्यम से-हालांकि, यह व्यापार सूचना उच्च न्यायालय के ध्यान से बच गई-इसके अलावा, 'पूर्व-आयात' की अवधारणा शर्त 'विदेशी नहीं थी-परिशिष्ट-4जे (एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 4.13 (ii) में उल्लिखित) ने कई लेखों को उन लेखों के रूप में सूचीबद्ध किया जिनके

लिए' आयात-पूर्व शर्त 'लागू थी, जी. एस. टी. व्यवस्था से पहले इसके अलावा, एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 4.13 द्वारा, डी. जी. एफ. टी. वस्तुओं पर' आयात-पूर्व शर्तों 'को लागू करने की शक्ति के अलावा अन्य वस्तुओं पर' आयात-पूर्व शर्तों 'को लागू कर सकता था।

परिशिष्ट-4जे में निर्दिष्ट लोगों के अलावा, इसका मतलब था कि डीजीएफटी

इसका प्रयोग किसी भी माल के संबंध में किया जा सकता है-उच्च न्यायालय ने नहीं किया

इस पहलू पर चर्चा करें और इस धारणा पर आगे बढ़ें कि केवल

निर्दिष्ट माल पूर्व-आयात शर्त के अधीन थे-कोई भी

आपूर्ति की श्रेणी, अन्य देश को वास्तविक निर्यात के अलावा और

एस. ई. जेड. को आपूर्ति को भौतिक निर्यात नहीं माना जा सकता है

मामले में

पूरा निर्यात भौतिक निर्यात नहीं था, एए थे

स्वतः छूट के लिए अयोग्य-जी. एस. टी. की शुरुआत

शासन के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण और मौलिक सुधार हुआ

अप्रत्यक्ष कर संरचना-कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि नए कानून या नीतियों को तैयार करते समय, विशेष रूप से जब पूरी तरह से

कराधान में बदलाव करते हुए राजकोषीय मानदंडों के विभिन्न समूह बनाए जाते हैं। संरचना, अब तक दी गई रियायतें आवश्यक रूप से होनी चाहिए

वे उसी तरीके से जारी रहे जैसे वे अतीत में थे-अनिवार्य रूप से,

यह प्रक्रिया कुछ व्यवधान पैदा करने के लिए बाध्य है-इस मामले में,

निर्यातकों को निवेश आयात करने, भुगतान करने की आवश्यकता के रूप में व्यवधान है

दो कर्तव्य, और धनवापसी का दावा-फिर भी, यह असुविधा है

पूरी तरह से बनाने के विधायी विकल्प को रोकने के लिए अपर्याप्त नया राजकोषीय कानून, और इस बात पर जोर देते हुए कि निर्धारिती का एक खंड आदेश देता है

उनके मामले, नए कानून के अनुसार होने के लिए-इसलिए,

एए की प्रत्याशा में आयात के लाभ का बहिष्कार, और आवश्यकता

शुल्कों का भुगतान, यू / 1975 के अधिनियम की धारा 3 (7) और (9) को आयात से पहले की शर्त के साथ मनमाना या अनुचित नहीं माना जा सकता है।

आक्षेपित अधिसूचनाओं को मनमानेपन के लिए दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता है या

वर्गीकरण के तहत-उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय सेट

एक तरफ-सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975-ss। 3 (7) , (9) .

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 - एस. 5 -

विदेश व्यापार नीति 2015-2020 (FTP) बनाम-ए-विज़ हैंडबुक ऑफ़ प्रक्रिया 2015-2020 (एच. बी. पी.)-आयोजितः एफ़. टी. पी. वैधानिक हैं और हैं

संघ द्वारा निर्मित, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एफ. टी. आर. ए. की धारा 5 -

जबकि, एच. बी. पी. के पास नियमों या विनियमों का दर्जा नहीं है -

इसमें केवल दिशानिर्देश शामिल हैं।

कर/कराधान-राजकोषीय कानूनों की वैधता या संवैधानिकता /

आर्थिक उपाय-कठिनाई/असुविधा, यदि प्रासंगिक हो तोः

न्यायालय का संबंध विवेक या अज्ञानता, न्याय या विवेक से नहीं है।

संसद और राज्य विधानमंडलों के रूप में कानून का अन्याय-कठिनाई एक की संवैधानिक वैधता पर उच्चारण करने में प्रासंगिक नहीं है

राजकोषीय कानून या आर्थिक कानून-जब भारत और भारत के नए संघ के माध्यम से सुधार किया जाता है।

वी. कॉस्मो फ़िल्में सीमित

विधान प्रस्तुत किया जाता है, वर्गीकरण के सिद्धांत को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है, और कानून के प्रभाव का पालन करने के लिए प्रयोग के लिए कुछ भत्ता कार्यकारी या विधायिका के लिए उपलब्ध है-वर्गीकरण का सिद्धांत।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 निर्यातकों को एक व्यापार सूचना (व्यापार सूचना 11/2017, दिनांक 30-06-2017) के माध्यम से जीएसटी लागू होने के कारण हुए परिवर्तनों के बारे में जागरूक किया गया था। सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट रूप से आगाह किया गया था कि एए और उनका उपयोग होगा

जिस तरह से ए. ए. योजना अब तक चल रही थी, उसी तरह से जारी नहीं रखा गया। यह व्यापार सूचना उच्च न्यायालय के ध्यान से बच गई है, क्योंकि विवादित आदेश में इसका कोई विज्ञापन या इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसी तरह, एच. बी. पी. में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 4.27 (डी) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया था कि 'पूर्व-आयात शर्त' के अधीन निवेश के लिए शुल्क मुक्त प्राधिकरण जारी नहीं किया जा सकता है। व्यापार सूचना के आधार पर, निर्यातकों को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि जी. एस. टी. व्यवस्था के तहत कोई छूट नहीं है।

एए के तहत एमपोर्ट्स के लिए आई. जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान उपलब्ध होगा। आयातकों को आई. जी. एस. टी. का भुगतान करना पड़ता था और जी. एस. टी. नियमों के तहत लागू इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना पड़ता था। [पैरा 49,50,51] [215-ए; 216-बी, सी, डी, ई]

1.2 एफ. टी. पी. ने अन्य बातों के साथ-साथ ए. ए. को इनपुट के शुल्क मुक्त आयात के लिए सुविधा प्रदान की, जिसे निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया गया है।

अपव्यय के लिए सामान्य भत्ता देना (एफ. टी. पी. का अनुच्छेद 4-3)। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके पीछे तर्क या उद्देश्य निर्यात व्यापार को सुचारू और सुविधाजनक बनाना था, यह सुनिश्चित करना कि निर्यात के लिए तैयार वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी मूल्य का नुकसान न हो। हालांकि, 'पूर्व-आयात शर्त' की अवधारणा विदेशी नहीं थी-परिशिष्ट-4जे (एफटीपी के पैराग्राफ 4.13 (ii) में उल्लिखित) ने कई वस्तुओं को सूचीबद्ध किया, जैसे कि मसाले, पेनिसिलिन और इसके लवण, चाय, नारियल का तेल, रेशम, अपंजीकृत स्रोतों से दवाएं, कीमती धातुएं आदि, जिनके लिए 'पूर्व-आयात शर्त' लागू थी, जीएसटी व्यवस्था से पहले। इसके अलावा, एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 4.13 के अनुसार, डी. जी. एफ. टी. निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं पर 'आयात-पूर्व शर्तें' लागू कर सकता है। परिशिष्ट-4जे में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं पर 'आयात-पूर्व शर्तें' लागू करने की शक्ति को बनाए रखने का मतलब था कि डीजीएफटी इसका प्रयोग कर सकता था वह, किसी भी माल के संबंध में। उच्च न्यायालय ने [2023] 7 एस. सी. आर. पर चर्चा नहीं की है।

यह पहलू, और इस धारणा पर आगे बढ़े कि केवल निर्दिष्ट वस्तुएं 'पूर्व-आयात शर्त' के अधीन थीं। 'आयात-पूर्व शर्त' पर जोर देने की शक्ति को सुरक्षित रखने वाले अनुच्छेद 4.13 (i) के अस्तित्व का अर्थ था कि नीति उस समय की आवश्यकताओं के आधार पर परिवर्तन करने में सक्षम थी। एच. बी. पी. के अनुच्छेद 4.27 (डी) पर ध्यान देने में उच्च न्यायालय की विफलता के साथ यह चूक विवादित फैसले में गंभीर खामियां हैं। [पैरा 56,57] [217-जी-एच; 218-ए-डी]

1.3 ' 'भौतिक निर्यात' को एफ. टी. डी. आर. ए. की धारा 2 (ई) के साथ पठित एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 4.05 (सी) और पैराग्राफ 9.20 में परिभाषित किया गया है।

इसलिए, अनिवार्य रूप से निर्यात में भारत से माल को बाहर ले जाना शामिल है। ए. ए. या तो सहायक निर्माता से जुड़े निर्माता निर्यातक या व्यापारी निर्यातक को जारी किए जा सकते हैं (पैराग्राफ 4.05 के अनुसार)। हालांकि, एफ़. टी. पी. का पैराग्राफ 4.05 उन श्रेणियों को परिभाषित करता है जिनके लिए ए. ए. जारी किए जा सकते हैं, कुछ हद तक व्यापक रूप से। परिभाषा विशिष्ट शब्दों में फैली हुई है (एफ. टी. पी. के अध्याय 4 के तहत)-एस. ई. जेड. को की गई आपूर्ति को 'भौतिक निर्यात' के रूप में माना जाता है।

घटना जिसमें माल को भारत से बाहर ले जाया जा रहा है। (ग) (ii), (iii) और (iv) के तहत परिभाषित अन्य तीन श्रेणियां 'भौतिक निर्यात' के रूप में अयोग्य हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं की आपूर्ति अमान्यकरण पत्र द्वारा कवर की जाती है, जबकि एफ. टी. पी. के अध्याय 7 के तहत कवर की गई आपूर्ति को 'मानित निर्यात' माना जाता है। ये हैं सामान

'भौतिक निर्यात' माने जाने के लिए अयोग्य हैं। इसलिए, आपूर्ति की कोई भी श्रेणी, चाहे वह अमान्य होने के पत्र के तहत हो और/या

ई. ओ. यू. और/या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आई. सी. बी.) और/या बड़ी बिजली परियोजनाओं के तहत, दूसरे देश को वास्तविक निर्यात और एस. ई. जेड. को आपूर्ति के अलावा, 'भौतिक निर्यात' नहीं माना जा सकता है। विवादित अधिसूचनाओं के पीछे एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि निर्यात आदेशों के निर्वहन के लिए एए के तहत किया गया पूरा निर्यात भौतिक निर्यात हो। यदि पूरा निर्यात भौतिक निर्यात नहीं था, तो एए स्वतः छूट के लिए अयोग्य थे। [पैरा 59] [218-एफ-एच; 219 ए-ई]

1.4 'आयात-पूर्व शर्त' की शुरुआत हो सकती है

इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों को कठिनाई हुई, क्योंकि भौतिक निर्यात मानदंडों को पूरा करने के बावजूद, वे अपने विदेशी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए एए के लिए आवेदन करने के बाद, निवेश आयात करने की अपनी पूर्व व्यावसायिक प्रथाओं को जारी नहीं रख सके।

भारत और ओआरएस का नया संघ। वी. कॉस्मो फ़िल्में सीमित

व्यवस्था ने उन्हें दो कर्तव्यों का भुगतान करने और फिर दावा करने की आवश्यकता थी

रिफंड, यह संतुष्ट करने के बाद कि अंतिम निर्यात वस्तुओं के उत्पादन के लिए निवेश का पूरी तरह से उपयोग किया गया था (अपव्यय को छोड़कर)। उनके व्यवसायों को फिर से आकार देने से उन्हें असुविधा हुई। फिर भी, यह अभिनिर्धारित करने के लिए एक आधार नहीं हो सकता है कि 'पूर्व आयात शर्त' को सम्मिलित करना मनमाना था, जैसा कि उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था। [पैरा 62] [220-डी-एफ] 1.5 उत्तरदाताओं ने दो मामलों में भेदभाव का आरोप लगाया थाः एक, कि वर्गीकरण के उद्देश्यों के लिए, जिन सभी निर्यातकों को ए. ए. दिए गए थे, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना था; और दो, कि अन्य ए. ए. के संबंध में उस लाभ को देते हुए, केवल दो शुल्कों से छूट के संबंध में 'पूर्व-आयात शर्त' पर जोर देना भेदभावपूर्ण था। जहाँ तक पहले पहलू का संबंध है, विवादित निर्णय एफ़. टी. पी. के गलत अध्ययन पर है। जैसा कि उल्लेख किया गया है।

इससे पहले, अनुच्छेद 4.13 (i) ने स्वयं डी. जी. एफ. टी. को ऐसे लेखों को शामिल करने का अधिकार दिया था, जो परिशिष्ट-4जे में निर्दिष्ट नहीं हैं। इस विवेकाधिकार के अस्तित्व का अर्थ है कि निर्यात व्यापार की स्थिति और व्यापार और कर व्यवस्था में दी जाने वाली रियायतों को ध्यान में रखते हुए अपनाई जाने वाली नीतियों की प्रकृति के संबंध में लचीलापन है। इस प्रकार, पैराग्राफ 4.13 (ii) प्रति के आधार पर कुछ मदों के संकेत का मतलब यह नहीं था कि अन्य लेख कर सकते हैं।

'पूर्व आयात शर्तों' के अधीन नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से, इसलिए, सभी ए. ए. धारकों के साथ कभी भी समान व्यवहार नहीं किया गया। दूसरे पहलू पर, जिस बात ने उत्तरदाताओं को आहत किया, वह एए का वर्गीकरण नहीं था, बल्कि नई शुरू की गई कर व्यवस्थाओं में उनका अंतर था, जहां तक दो नए शुल्कों का संबंध है। यदि यह ध्यान में रखा जाए कि छूट का दावा करने का कोई व्यापक अधिकार नहीं हो सकता है और ऐसी राहत राज्य के आकलन और कर पर निर्भर है

प्रशासकों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति और सबसे बढ़कर, इसके प्रशासन के लिए तंत्र, स्पष्ट रूप से तर्क

एक ओर दोनों शुल्कों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और दूसरी ओर करों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार विफल होना चाहिए। आयात-पूर्व शर्तों की आवश्यकता से छूट पुराने शुल्कों के संबंध में जारी है, जो आज भी जी. एस. टी. व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं। यह स्पष्ट रूप से उन्हें नए शुल्कों से अलग करता है, जिसके भुगतान पर जोर दिया जाता है (जिसके बाद धनवापसी की मांग की जा सकती है) शुल्क, मूल्यांकन, संग्रह, भुगतान और धनवापसी की एक एकीकृत प्रणाली के हिस्से के रूप में। [पैरा 65] [222-सी-एच] [2023] 7 एस. सी. आर.

1.6 जी. एस. टी. व्यवस्था की शुरुआत के परिणामस्वरूप राज्य और केंद्रीय स्तरों पर अप्रत्यक्ष कर संरचना में पर्याप्त और मौलिक सुधार हुआ। कोई संवैधानिक नहीं है मजबूरी कि एक नया कानून बनाते समय, या एक नए कानून के तहत नीतियां-विशेष रूप से जब राजकोषीय व्यवस्था का एक पूरी तरह से अलग सेट

मानदंड बनाए जाते हैं, कराधान संरचना में बदलाव किया जाता है, अब तक दी गई या दी गई रियायतों को अनिवार्य रूप से उसी तरह जारी रखा जाना चाहिए जैसे वे पहले थे। जब कानूनों का एक नया समूह अधिनियमित किया जाता है, तो विधायिका का प्रयास एक ओर, अतीत के शासन को आत्मसात करना है-जहां तक व्यावहारिक हो सके। दूसरी ओर, नए कानून का उद्देश्य नई परिचर शर्तों के साथ नए अधिकारों और दायित्वों का निर्माण करना है। अनिवार्य रूप से, इस प्रक्रिया से कुछ व्यवधान पैदा होना तय है। इस मामले में, निर्यातकों को निवेश आयात करने, दो शुल्कों का भुगतान करने और धनवापसी का दावा करने की आवश्यकता होती है। फिर भी, यह असुविधा एक बनाने के विधायी विकल्प को कुचलने के लिए अपर्याप्त है

पूरी तरह से नया राजकोषीय कानून, और इस बात पर जोर देते हुए कि

निर्धारिती अपने मामलों को नए कानून के अनुसार होने का आदेश देते हैं। इसलिए, ए. ए. की प्रत्याशा में आयात के लाभ का बहिष्कार, और धारा 3 (7) के तहत शुल्कों के भुगतान की आवश्यकता और

(9) सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 की 'आयात-पूर्व शर्त' को मनमाना या अनुचित नहीं माना जा सकता है। [पारस 60,67] [219-एफ; 225-एफ-एच; 226-ए-बी]

रोहिताश कुमार और अन्य। बनाम ओम प्रकाश शर्मा और अन्य (2013) 11 एस. सी. सी. 451 [2012] 13 एस. सी. आर. 47; मध्य प्रदेश राज्य बनाम राकेश कोहली [2012] 6 एस. सी. आर. 661; गुजरात राज्य बनाम श्री अंबिका मिल्स 1974 (3) एस. सी. आर. 760; अजय कुमार बनर्जी और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य [1984] 3 एससीआर 252; जावेद बनाम। हरियाणा राज्य (2003) 8 एससीसी 369: [2003] 1 पूरक। एस. सी. आर. 947; मध्य प्रदेश राज्य बनाम नंदलाल जयसवाल [1987] 1 एस. सी. आर. 1; आशीर्वाद फिल्म्स बनाम। भारत संघ (2007) 6 एससीसी 624: [2007] 7

एस. सी. आर. 310-पर निर्भर।

1.7 'आयात-पूर्व शर्त' लागू करने के पीछे का उद्देश्य एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 4-3 और एफ. टी. पी. के अनुलग्नक-4-जे. से स्पष्ट है।

एच. बी. पी.; कि एफ. टी. पी. के प्रकाशित होने पर केवल कुछ वस्तुओं की गणना की गई थी, निर्यातकों के लिए यह शिकायत करने का कोई आधार नहीं है कि अन्य वस्तुओं को भारत और ओ. आर. एस. के आयात-पूर्व संघ के उद्देश्य से शामिल नहीं किया जा सकता है।

वी. कॉस्मो फ़िल्में सीमित

शर्त '; जैसा कि पहले माना गया था, वह पैराग्राफ 4.03 (i) का महत्व है। एफ. टी. पी. में कई योजनाएं एक बनाए रखने के लिए हैं

एक ओर राजस्व के हितों की रक्षा के लिए निर्यातकों के दावों के बीच संतुलन। यहाँ, जो शामिल है वह आई. जी. एस. टी. की छूट की छूट और स्थगन है, जो पूरी तरह से एक नया शुल्क है, जिसका तंत्र पहली बार तैयार किया जा रहा था और विकसित किया जा रहा था। पुराने ए. ए. के तहत 'पूर्व-आयात शर्तों' को पूरा करने की असंभवता का अनुरोध किया गया था, यह सुझाव देते हुए कि अधिसूचनाएं पूर्वव्यापी रूप से नई शर्तों को अनिवार्य करती हैं। द.

ए. ए. योजना के तहत बी. सी. डी. और आई. जी. एस. टी. का अंतर उपचार है बिना योग्यता के। बी. सी. डी. आयात के बिंदु पर एक सीमा शुल्क है। में।

उस स्तर पर, ऋण का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी ओर, आई. जी. एस. टी. कई बिंदुओं (आयात के स्तर सहित) पर लगाया जाता है। और इनपुट क्रेडिट अंतिम उपयोगकर्ता के बिंदु तक प्रवाह में आ जाता है। नतीजतन, दोनों शुल्कों के साथ एक अलग व्यवहार का औचित्य है। आई. जी. एस. टी. आई. जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 के तहत लगाया जाता है और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत मशीनरी के माध्यम से सीमा शुल्क बिंदु पर सुविधा के लिए एकत्र किया जाता है। इसलिए, आक्षेपित अधिसूचनाओं को मनमानेपन या वर्गीकरण के तहत दोष नहीं दिया जा सकता है। [पैरा 69] [226-एच; 227-ए-ई]

पूर्वव्यापी प्रभाव, 10.01.2019 की अधिसूचना के माध्यम से व्याख्या, वह प्राप्त करना होगा जो कानून में अस्वीकार्य है। इसलिए, विवादित निर्णय को इस आधार पर भी कायम नहीं रखा जा सकता है। [पारस 70,71] [227-ई-एफ; 228-ए-बी]

1.9 गुजरात उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है। हालाँकि, चूंकि उत्तरदाता थे अंतरिम आदेशों का लाभ उठाते हुए, जब तक विवादित निर्णय नहीं दिए जाते, तब तक राजस्व को उन्हें धनवापसी या इनपुट क्रेडिट (जो भी लागू हो और/या जहां भी सीमा शुल्क का भुगतान किया गया हो) का दावा करने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 75] [229-ई] [2023] 7 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विदेश व्यापार और अन्य के महानिदेशक। वी कनक

निर्यात और अन्य [2015] 15 एस. सी. आर. 287; भारत संघ

(यूओआई) और ओआरएस। वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया प्रा. लिमिटेड [2021] 15

एससीआर 169; आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ (1981) 1 एससीआर

947 : भारत संघ बनाम वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया (पी) लिमिटेड। 2022 (2) एस. सी. सी. 603-पर निर्भर।

एम. आर. एफ. लिमिटेड, कोट्टायम बनाम आसिस्टेंट। आयुक्त (मूल्यांकन)

बिक्री कर और अन्य। [2006] पूरक 6 एस. सी. आर. 417 आयोजित अप्रयोज्य।

खांडिगे शाम भट बनाम कृषि आयकर अधिकारी

[1963] 3 एससीआर 809; शहरी सहायक आयुक्त

भूमि कर बनाम बकिंघम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड [1970] 1

एस. सी. आर. 268; लक्ष्मी खंडसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

[1981] 3 एस. सी. आर. 92; हरियाणा राज्य बनाम जय सिंह 2003

(9) एस. सी. सी. 114; वेलफेयर एसोसिएशन ए. आर. पी. बनाम रंजीत पी. गोहिल

[2003] 9 एस. सी. सी. 358; भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य। बनाम।

एन. एस. रत्नम एंड संस [2015] 8 एससीआर 751; वासु देव

सिंह बनाम। भारत संघ [2006] पूरक 9 एससीआर 565; पी. जे.

ईरानी बनाम। मद्रास राज्य [1962] 2 एससीआर 169; का संघ भारत बनाम. एशियाई खाद्य उद्योग, [2006] पूरक 8 एससीआर 485;

हिंदुस्तान ग्रेनाइट्स बनाम भारत संघ (2007) 4 एससीआर

743 ; बन्नारी अम्मान शुगर लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर

अधिकारी और अन्य [2004] 6 पूरक। एस. सी. आर. 264 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

1963 (3) एससीआर 809

पैरा 24

संदर्भित किया गया है

पैरा 24

संदर्भित किया गया है

1970 (1) एससीआर 268

[1981] 1 एससीआर 947

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

[1981] 3 एससीआर 92

पैरा 31

संदर्भित किया गया है

[2015] 8 एससीआर 751

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[2006] पूरक 6 एस. सी. आर. 417

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 35

[2006] पूरक 9 एस. सी. आर. 565

पैरा 36

संदर्भित किया गया है

[1962] 2 एससीआर 169

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

[2006] पूरक 8 एससीआर 485

पैरा 52

संदर्भित किया गया है

[2007] 4 एससीआर 743

पैरा 52

संदर्भित किया गया है

[2012] 13 एससीआर 47

उस पर भरोसा करें

पैरा 62 भारत और भारत का संघ। वी. कॉस्मो फ़िल्में सीमित

[2012] 6 एससीआर 661

उस पर भरोसा करें

पैरा 62

उस पर भरोसा करें

पैरा 66

1974 (3) एससीआर 760 [1984] 3 एससीआर 252

उस पर भरोसा करें

पैरा 66

[2003] 1 पूरक। एससीआर 947

उस पर भरोसा करें

पैरा 66

[1987] 1 एससीआर 01

पैरा 68

उस पर भरोसा करें

[2007] 7 एससीआर 310

उस पर भरोसा करें

पैरा 68

[2015] 15 एससीआर 287

उस पर भरोसा करें

पैरा 70

[2021] 15 एससीआर 169

उस पर भरोसा करें

पैरा 72

[2004] 6 पूरक। एससीआर 264

पैरा 73

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.290

2023 .

उच्च न्यायालय के 04.02.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के एस. सी. ए. No.15186 में गुजरात के अहमदाबाद में।

के साथ

2023 की सिविल अपील Nos.298,303,297,296,295,294,293,292

और 2020 की स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1526।

आर. वेंकटरमानी, एजी, एन. वेंकटरमण, ए. एस. जी., मुकेश कुमार

मरोरिया, शरत नांबियार, अंकुर तलवार, सुश्री चिन्मायी चंद्र, सिद्धांत कोहली, बी. कृष्ण प्रसाद, अभिषेक ए. रस्तोगी, निखिल जैन, प्रत्यूषप्रभा साहा, सुश्री दिव्या जैन, रोहन शाह, अजय भार्गव, श्रीमती वनिता भार्गव, आयुष मेहरोत्रा, सुश्री त्रिशला त्रिवेदी, उपकार अग्रवाल, सुश्री अभिप्रिया, लक्ष मिनोचा, मैसर्स। खेतान एंड कंपनी, परेश एम. डेव, शमिक शिरीषभाई संजनवाला, सागर जुनेजा, प्रशांत मोहला, सुश्री नूपुर प्रसाद, अमर डेव, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू, भारत सूद, सुश्री श्रुति जोस, अशोक बसोया, सुधांशु एस. चौधरी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. इन अपीलों को एक निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित किया जाता है

गुजरात उच्च न्यायालय, जिसमें 2015-2020 ("FTP") की विदेश व्यापार नीति में शामिल 'पूर्व-आयात शर्त' 2 को अनिवार्य रूप से पूरा करना शामिल है।

मेसर्स श्री जगदम्बा पॉलिमर लिमिटेड और अन्य। v भारत संघ और अन्य। , विशेष सिविल

2018 का आवेदन संख्या 19324।

2 एफ. टी. पी. का अनुच्छेद 4.13, एच. बी. पी. के साथ पढ़ा जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और अधिसूचना संख्या 33/2015-20 और अधिसूचना संख्या 79/2015 द्वारा प्रक्रियाओं की पुस्तिका 2015-20 20 ("एच. बी. पी".)-सीमा शुल्क, दोनों दिनांक 13.10.2017, को अलग कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के अनुसार, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर से छूट का दावा करने के लिए इस तरह की पूर्ति

(" आई. जी. एस. टी.) 3 और अग्रिम प्राधिकरण (ए. ए.) के बल पर भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए भारत में आयातित इनपुट पर जी. एस. टी. क्षतिपूर्ति उपकर मनमाना और अनुचित था।

I. पृष्ठभूमि

2. विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 ("एफ. टी. डी. आर. ए".) के संदर्भ में केंद्र सरकार ("संघ") समय-समय पर देश में आयात और निर्यात के विकास, विनियमन और नियंत्रण के लिए निर्यात-आयात नीतियाँ (या एफ. टी. पी.) तैयार करती रही है। संघ ने शुल्क छूट योजनाओं की भी घोषणा की। इनमें से एक

इसके तहत, विदेश व्यापार महानिदेशक ("डी. जी. एफ. टी".) ने एच. बी. पी. को अधिसूचित किया, जिसके अध्याय 4 ने शुल्क छूट/छूट योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया निर्धारित की। पैराग्राफ 4.27 के अनुसार, " प्राधिकरण की प्रत्याशा की अनुमति दी गई थी, ताकि निर्यात आदेशों के निष्पादन में बाधाएं और देरी न हो। उस समय, अधिसूचना संख्या 18/2015-सीमा शुल्क दिनांक 1.04.2015 ने भुगतान से छूट दी थी

बुनियादी सीमा शुल्क ("बी. सी. डी".), अतिरिक्त शुल्क (प्रतिपूरक शुल्क) (" सीवीडी), विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी), सुरक्षा शुल्क और वैध एए के खिलाफ आयातित इनपुट पर डंपिंग रोधी शुल्क।

3. जी. एस. टी. व्यवस्था 01.07.2017 से प्रभावी हुई थी। हालाँकि, अधिसूचना संख्या 18/2015-आई. जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर के संबंध में सीमा शुल्क में कोई संशोधन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ए. ए. के खिलाफ भारत में आयातित निवेश के लिए इन शुल्कों का संग्रह किया गया था।

4. 13.10.2017 पर, छह मौजूदा अधिसूचनाओं में संशोधन किया गया था। अधिसूचना संख्या 79/2017-सीमा शुल्क ने अधिसूचना संख्या 18/2015 में आई. जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट देकर सीमा शुल्क में संशोधन किया, जो निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

" बशर्ते कि उपरोक्त किसी भी बात के बावजूद उक्त प्राधिकरणों के लिए जहां छूट दी गई है

एकीकृत कर और वस्तु एवं सेवा कर से

3 3 सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 (7) के तहत देय। 4 सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 (9) के तहत देय। 5 एफ. टी. पी. का अनुच्छेद 4।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उप-धारा (7) के तहत उस पर देय क्षतिपूर्ति उपकर और

उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (9),

लाभ उठाया गया है, निर्यात दायित्व को पूरा किया जाएगा

केवल भौतिक निर्यात "।

***

" कि एकीकृत कर और वस्तुओं से छूट और

उप के तहत उस पर देय सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर उक्त सीमा शुल्क की धारा 3 की धारा (7) और उप-धारा (9)

शुल्क अधिनियम आयात-पूर्व शर्त '997' के अधीन होगा।

(जोर दिया गया)

उसी समय, अधिसूचना संख्या 33/2015-2020 जारी की गई थी,

एफ. टी. पी. के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करना, जिसके तहत इस 'आयात-पूर्व शर्त' को इसके अनुच्छेद 4.14 में 13.10.2017 से प्रभावी रूप से शामिल किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं/यहाँ उत्तरदाताओं ने दावा किया कि वे इस शर्त के बारे में अनजान थे, और एए के अनुदान की प्रत्याशा में निर्यात जारी रखा, और परिणामस्वरूप अपेक्षित था

आई. जी. एस. टी. और मुआवजे सहित सभी सीमा शुल्क से छूट

सेस।

5. राजस्व खुफिया निदेशालय (डी. आर. आई.) कोलकाता

उपरोक्त संशोधनों पर ध्यान दिया और उसके बाद, जांच शुरू की और एए के खिलाफ माल का आयात करने वाले देश भर में स्थित विभिन्न निर्माताओं को समन जारी किया। उत्तरदाताओं का मानना था कि 'आयात-पूर्व स्थिति' का दायरा स्पष्ट नहीं था, जबकि डी. आर. आई. अधिकारियों का मानना था कि

हालाँकि, जाँच और जाँच करने का विचार था कि 'आयात-पूर्व स्थिति' का अर्थ था कि पहले वस्तुओं का आयात किया जाना चाहिए, और फिर ऐसे आयातित वस्तुओं के साथ निर्मित अंतिम उत्पादों का निर्यात किया जाना चाहिए। जब यह स्थापित किया गया कि किसी विशेष एए के बदले आयातित माल

का उपयोग उस विशेष प्राधिकरण के निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए निर्यात किए गए तैयार माल के निर्माण के संबंध में किया गया था, तो 'पूर्व-आयात शर्त' संतुष्ट थी।

6. इस विकास को ध्यान में रखते हुए, द्वारा दी गई छूट

अधिसूचना संख्या 18/2015-सीमा शुल्क स्वीकार्य नहीं था जहां निर्माता-निर्यातक, जिन्होंने निरंतर चक्र में वस्तुओं का निर्माण और निर्यात किया, उपरोक्त को साबित नहीं कर सके। छूट थी

6 अधिसूचना संख्या 79/2017 में निहित खंड (viii) का प्रावधान। 7 अधिसूचना संख्या 79/2017 में निहित खंड (xii) का जोड़।

यह भी स्वीकार्य नहीं है जब निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जाता था

लाइसेंस/प्राधिकरण की प्रत्याशा, क्योंकि वे पहले किए गए निर्यात थे, प्राधिकरण के खिलाफ शुल्क मुक्त आयात बाद में किया गया था। नतीजतन, इस व्याख्या से व्यथित निर्माता-निर्यातकों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

II. उच्च न्यायालय के समक्ष राजस्व की दलीलें

7. राजस्व ने तर्क दिया कि शुल्क का भुगतान करने से छूट थी

यह अधिकार की बात नहीं है, और राज्य द्वारा सामान्य जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया गया था। किसी भी अधिसूचना की वैधता के निर्धारण के लिए मानदंड हमेशा यह था कि क्या प्राधिकरण ने ऐसी अधिसूचना जारी करते समय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया या नहीं, और न कि क्या संघ को इससे लाभ हुआ। राजस्व ने तर्क दिया कि निर्यातक एच. बी. पी. के अनुच्छेद 4.27 और 4.28 के संदर्भ में पहले निर्यात और बाद के चरण में आयात करने के लिए स्वतंत्र थे। हालाँकि उन प्रावधानों में पूर्ण प्रावधान नहीं थे।

आयातकों को नीति और संबंधित शर्तों का पालन किए बिना अपने आयात और निर्यात को विनियमित करने की स्वतंत्रता सीमा शुल्क अधिसूचना। इच्छुक निर्यातकों के लिए विकल्प खुला रखने के लिए प्रावधान एक अपवाद थे, बशर्ते कि इसका लाभ उठाया जाए।

अपने जोखिम पर। इसके अलावा, विकल्प का उपयोग केवल तभी उपलब्ध था जब एस. आई. ओ. एन. एस. या निर्यातकों में से कोई भी 'आयात-पूर्व शर्त' तय नहीं की गई थी।

वे पहले अपने निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए तैयार थे। चूंकि मानदंडों को तय करने की प्रक्रिया में समय लगता था, इसलिए प्रावधानों ने एक अवसर प्रदान किया आयातकों को अग्रिम रूप से निर्यात करने के लिए, इसके प्रति विचार नहीं किए जाने के जोखिम पर

निर्यात दायित्व का निर्वहन।

8. राजस्व ने प्रस्तुत किया कि जी. एस. टी. व्यवस्था की शुरुआत से पहले, ए. ए. के तहत अनुमत आयात को कई भुगतानों से छूट दी गई थी।

कर्तव्य। इसके बाद सी. वी. डी. और एस. ए. डी. को आई. जी. एस. टी. में मिला दिया गया। के तहत

8 मानक इनपुट आउटपुट मानदंड, जो मानक मानदंड हैं जो निर्यात उद्देश्यों के लिए उत्पादन की इकाइयों के निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट/इनपुट की संख्या को परिभाषित करते हैं। वे अलग-अलग उत्पादों के लिए अलग-अलग तरीके से लागू होते हैं। 9 सुप्रा, पैरा 2।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

बी. सी. डी., ए. डी. डी., सुरक्षा शुल्क आदि से छूट और आई. जी. एस. टी. का भुगतान वापस कर दिया गया। ए. ए. के तहत किए गए सभी आयातों पर आई. जी. एस. टी. लागू करने का विधायी इरादा स्पष्ट था, इस तरह के प्राधिकरणों की स्थिति के बीच अंतर किए बिना, चाहे वह जी. एस. टी. की शुरुआत से पहले या बाद में जारी किया गया हो या नहीं। यह एक नीतिगत निर्णय था, जिसे केवल जी. एस. टी. परिषद ही उलट या बदल सकती थी। राजस्व विभाग ने यह भी बताया कि वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जी. एस. टी. एन.) 1 में समस्याओं के कारण आई. जी. एस. टी. की प्रतिबद्ध वापसी में देरी हो रही है। इसके परिणामस्वरूप कई व्यापारिक घरानों के लिए कार्यशील पूंजी बाधित हो गई। इस समस्या को दूर करने के लिए, जीएसटी परिषद ने एए के तहत आयात करने पर आई. जी. एस. टी. से छूट की अनुमति दी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ("डी. जी. एफ. टी".) ने तदनुसार अधिसूचना संख्या 33/2015-20 दिनांकित जारी की।

13.10.2017 जिसे राजस्व विभाग द्वारा जारी सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 13.10.2017 द्वारा समर्थित किया गया था, जिसमें अधिसूचना संख्या 18/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1.4.2015 में संशोधन किया गया था। राजस्व ने आगे आग्रह किया कि धारा 3 (7) के तहत देय आई. जी. एस. टी. से छूट उपलब्ध है और यह दो विशिष्ट शर्तों के अधीन है। शर्तें थीं (i) निर्यात दायित्व को केवल भौतिक निर्यात के माध्यम से पूरा किया जाना था; और (ii) छूट 'पूर्व-आयात शर्त' के अधीन थी, जिसका अर्थ था कि वस्तुओं का आयात शुरू होने के बाद ही, उनका उपयोग निर्यात वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाना आवश्यक था, जो अंततः

निर्यात किया जाता है।

9. राजस्व के अनुसार, एक कट-ऑफ तिथि हो सकती थी

घोषित, और केवल 13.10.2017 के बाद जारी किए गए एए को ऐसे लाभों के लिए पात्र घोषित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। खुला रखा गया था।

उन दो शर्तों का पालन करने वाले आयातकों को लाभ देना समाप्त किया गया, यहां तक कि उन्हें पहले जारी किए गए एए के संबंध में भी। एक कट-ऑफ तिथि निर्यातकों को लाभ के लिए अयोग्य बना देती। इसलिए, नीति निर्माताओं ने अपने विवेक से, ए. ए. जारी करने की तारीख/अवधि की परवाह किए बिना, लागू शर्तों के अनुपालन के अधीन, पात्र आयातकों के लिए लाभ का आनंद लेने के लिए दरवाजे खुले रखे।

10. राजस्व ने आगे कहा कि एफ. टी. पी. का अनुच्छेद 4.13 वर्षों से अलग-अलग पॉलिसी अवधि में अलग-अलग अनुच्छेदों के तहत अस्तित्व में था। 2003 से, सभी दवा कंपनियां 'पूर्व-आयात' के तहत अपंजीकृत स्रोतों से प्राप्त अपने कच्चे माल का आयात कर रही थीं। 10 जो करदाताओं और अन्य हितधारकों सहित केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को साझा आईटी अवसंरचना और सेवा प्रदान

करता है। सभी करदाताओं को पंजीकरण सेवाएँ, रिटर्न और भुगतान जी. एस. टी. एन. द्वारा प्रदान किए गए थे।

शर्त '। किसी भी रूप में रेशम, कच्ची चीनी, प्राकृतिक रबड़, चाय, मसाले और कीमती धातुओं आदि को केवल 'पूर्व-आयात शर्त' के तहत आयात करने की अनुमति थी। 'आयात-पूर्व स्थिति' नीति के अनुच्छेद 4-3 के तहत ए. ए. योजना के भीतर ही बनाई गई थी।

11. इसके अलावा, ए. ए. योजना एक पुनःपूर्ति योजना नहीं थी। अगर ऐसा होता तो डी. जी. एफ. टी. ने 'शुल्क "जैसी अन्य योजनाएं शुरू नहीं की होतीं। मुक्त प्रोत्साहन योजना ', जो आयात से पहले निर्यात की अनुमति देती थी, और एफ. टी. पी. के तहत हस्तांतरणीय लाइसेंस। नकदी की रुकावट को रोकने के लिए

निर्यातकों को आई. जी. एस. टी. के अग्रिम भुगतान और आदानों के आयात पर क्षतिपूर्ति उपकर के कारण उनके भुगतान से छूट दी गई थी, जो 'पूर्व-आयात शर्त' के अधीन थी। निर्यात के बाद पुनःपूर्ति आयात के मामले में, नकदी अवरोध का मुद्दा उत्पन्न नहीं हुआ। चूंकि निर्यात पहले ही हो चुका था और जी. एस. टी. कानून में पूर्ण शून्य-मूल्यांकन का प्रावधान किया गया था, इसलिए पुनःपूर्ति आयात पर आई. जी. एस. टी. छूट का विस्तार करने से प्राधिकरण धारक को दोगुना लाभ होगा। इसलिए, ए. ए. धारक प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुए और विवादित अधिसूचनाओं से प्रभावित नहीं हुए। पुनःपूर्ति सामग्री पर भुगतान किए गए आई. जी. एस. टी. का लाभ जी. एस. टी. के भुगतान के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में लिया जा सकता है।

III. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष

12. उच्च न्यायालय ने अधिसूचनाओं पर विचार करने और निर्यातकों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कहा कि एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 4.27 में प्राधिकरण की प्रत्याशा में निर्यात की परिकल्पना की गई है, जो आयात-निर्माण-निर्यात के चक्र के संदर्भ में किया गया है, जिसमें चक्र पूरा होने के लिए कम से कम छह महीने के भीतर विदेशी खरीदारों द्वारा सामान्य रूप से अनुमति दिए गए तीन से चार महीने का वितरण समय भी शामिल है। अदालत ने इसे एक अव्यवहारिक शर्त मानाः

“ डी. आर. आई. द्वारा भौतिक निर्यात और पूर्व-आयात की शर्त की उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, अग्रिम के तहत कोई भी निर्यात करना कमोबेश असंभव है।

पूर्व-आयात की शर्त का उल्लंघन किए बिना प्राधिकरण। वास्तव में और सार में, जो एक हाथ से दिया जाता है वह दूसरे हाथ से ले लिया जाता है। दूसरे शब्दों में, आयात से पहले की स्थिति के आलोक में, एकीकृत शुल्क से छूट का लाभ

कर और जी. एस. टी. क्षतिपूर्ति उपकर कमोबेश बढ़ता जा रहा है।

भ्रमपूर्ण "। II.

13. यह ध्यान दिया गया कि सीमा शुल्क की धारा 3 (7) और (9) के तहत एकत्र किए गए शुल्कों पर 'आयात-पूर्व शर्त' लगाई गई थी 11 उपर्युक्त टिप्पणी 1, पैरा 27।

"

0095/2017

12

14.

12

अनुमति दी जानी चाहिए (आई. जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर के उद्ग्रहण से छूट के उद्देश्य से), फिर भी, ऐसे आयातों को "अचानक" "पुनःपूर्ति आयात" के रूप में माना गया, जिसे "समझ से बाहर" माना गया 13 अदालत ने कहा कि विवादित छूट अधिसूचना और

एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 4.14 में, जिस हद तक उन पर आरोप लगाया गया था, वे तर्कसंगतता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे और उन्हें एफ. टी. पी. की योजना से परे माना गया।

IV. इस न्यायालय के समक्ष संघ की दलीलें

15. श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

(" संघ की ओर से उपस्थित ए. एस. जी.) ने आग्रह किया कि ए. ए. का सार यह है कि निर्यातकों से पहले शुल्क मुक्त सामग्री का आयात करने की अपेक्षा की जाती है, और उनका उपयोग भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के निर्माण के उद्देश्य से किया जाता है या यदि एफ. टी. पी. या सीमा शुल्क अधिसूचनाओं द्वारा अनुमति दी जाती है तो मानित निर्यात के तहत आपूर्ति की जाती है। इनपुट के भौतिक समावेश का यह पहलू

निर्यात वस्तुओं में सामग्री को एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 4-3 के तहत शामिल किया गया था, जिसमें विशेष रूप से निर्यात वस्तुओं में आयातित सामग्री को भौतिक रूप से शामिल करने की मांग की गई थी, जो केवल तभी संभव था जब आयात निर्यात से पहले किया गया हो। इसलिए, इस तरह के प्राधिकरणों में मुख्य रूप से एक अंतर्निहित 'पूर्व-आयात शर्त' थी जिसका पालन करना पड़ता था। संबंधित अवधि के लिए एच. बी. पी. के अनुच्छेद 4.27 ने प्राधिकरण की प्रत्याशा में निर्यात/आपूर्ति की अनुमति दी। यह एक अपवाद था, आवश्यकता के मामले में आवश्यकता को पूरा करने के लिए। हालांकि, आयातक और निर्यातक बिना किसी अपवाद के उस प्रावधान का लाभ उठा रहे थे और निर्यात वस्तुओं को घरेलू या अन्यथा खरीदी गई सामग्री से बनाया जाता था और शुल्क मुक्त आयातित वस्तुओं का उपयोग निर्यात वस्तुओं के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। एच. बी. पी. के अनुच्छेद 4.27 (डी) में निर्यात के लाभ पर रोक लगा दी गई है। 'आयात-पूर्व शर्त' के साथ निवेश के लिए प्राधिकरण की प्रत्याशा। ए. एस. जी. ने निर्यातकों के इस तर्क का विरोध किया कि एच. बी. पी. के अनुच्छेद 4.27 में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उसने केवल 'आयात-पूर्व शर्त' के माध्यम से एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 4.14 के संदर्भ में शर्तें लगाई हैं।

16. यह कहा गया था कि पैराग्राफ 4.27 (डी) के तहत, निर्यात/आपूर्ति

प्राधिकरण की प्रत्याशा में किए गए इनपुट के लिए पात्र नहीं थे

' आयात-पूर्व स्थिति '। इसका मतलब यह था कि जिस क्षण इनपुट सामग्री 'पूर्व-आयात शर्त' के अधीन थी, वे अनुच्छेद 4.27 (डी) के आधार पर प्राधिकरण की प्रत्याशा में निर्यात के लिए अयोग्य थे। इसलिए, प्रतिवादी ने गलत धारणा और समझ के आधार पर अनुरोध किया और

13 उपर्युक्त टिप्पणी 1.

भारत और ओआरएस का संघ। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

प्रासंगिक प्रावधानों की जानकारी, और उच्च न्यायालय ने गलती से इस तरह के गलत प्रस्तुतिकरण पर भरोसा किया।

17. यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 4.27 (ए) और (बी), यानी, प्राधिकरण की प्रत्याशा में निर्यात और इनपुट पर 'पूर्व-आयात शर्त'

सामग्री परस्पर अनन्य थी और साथ-साथ नहीं चल सकती थी। विवादित आदेश में पैराग्राफ 4.27 (डी) के इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया था। इसलिए, 'आयात-पूर्व शर्त' को अनुचित ठहराना पैराग्राफ 4.27 (ए) के विपरीत था और यह भी कि सरकार ने इस तरह के स्पष्ट विरोधाभास को खत्म करने के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, तथ्यों के गलत समूह पर आधारित था, और कानून के प्रावधानों के विपरीत था।

18. यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 4,14 और इसके संबंधित प्रावधानों को दरकिनार करते हुए गलती की। सीमा शुल्क अधिसूचना, जिसमें 'आयात-पूर्व' और 'भौतिक निर्यात' की शर्तें लगाई गई थीं, और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 4 के तहत शुल्क-मुक्त सामग्री को भौतिक रूप से शामिल करने का विवाद एच. बी. पी. के अनुच्छेद 4.27 के विपरीत था, जो विशेष रूप से प्राधिकरण की प्रत्याशा में आयात की अनुमति देता था। अदालत की टिप्पणी बेमानी थी। न्यायालय ने गलती से एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 4 के ऊपर एच. बी. पी. के अनुच्छेद 4.27 को प्रधानता प्रदान की, जब वास्तव में एफ. टी. पी. को एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में एक निर्यातक या आयातक द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए एच. बी. पी. पर प्रमुखता प्राप्त थी।

इसलिए, एच. बी. पी. का प्रावधान संघर्ष के मामले में एफ़. टी. पी. को ओवरराइड नहीं कर सका। यह तर्क दिया गया था कि पैराग्राफ 4.27 (डी) पैराग्राफ 4.27 (ए) के दायरे को सीमित और सीमित करता है। जिस क्षण अनुच्छेद 4.27 (घ) आया

चित्र में, अनुच्छेद 4.27 (ए) निष्क्रिय हो गया।

19. यह भी आग्रह किया गया कि पैराग्राफ के बीच कोई टकराव नहीं था

4.03 एफ. टी. पी. और एच. बी. पी. के 4.27 (ए) का। अलग-अलग पैराग्राफ का दायरा और संचालन का क्षेत्र पूरी तरह से अलग था। एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 4-3 (ए) में प्रावधान किया गया है किः

“ (क) शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए अग्रिम प्राधिकरण जारी किया जाता है।

निवेश, जिसे भौतिक रूप से निर्यात उत्पाद में शामिल किया जाता है (अपव्यय के लिए सामान्य भत्ता)। इसके अलावा, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक जो इस प्रक्रिया में खपत/उपयोग किया जाता है

निर्यात उत्पाद के उत्पादन की भी अनुमति दी जा सकती है। 14

14 एफ. टी. पी. का अनुच्छेद 4-3 (ए)।

20. इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए एए योजना का उद्देश्य और भावना स्पष्ट थी, जिसे निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया जाना था। संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचनाएँ भी, पैराग्राफ में संदर्भित हैं।

4.03 , जिसमें प्रावधान किया गया था कि ए. ए. को छूट बढ़ाने के लिए इसके प्रावधान के संदर्भ में जारी किया गया था। योजना के उद्देश्य के लिए दो कारणों से निर्यात वस्तुओं में निवेश को भौतिक रूप से शामिल करने का प्रावधान आवश्यक था। पहला, कि वास्तव में आयातित निवेश सामग्री को निर्यात वस्तुओं में भौतिक रूप से शामिल किया जाना था और दूसरा, कि निर्यात वस्तुओं में भौतिक रूप से शामिल माल को केवल निवेश के रूप में आयात किया जा सकता था। जहाँ तक पहली स्थिति का संबंध था, पुनःपूर्ति का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि आयातित निवेश निर्यात का हिस्सा बन गया था। निर्यात शुरू होने से पहले ऐसी वस्तुओं का आयात किया जाना था ताकि आयातक उनसे तैयार वस्तुओं का निर्माण कर सके।

इसलिए, किसी को 'आयात-पूर्व शर्त' का पालन करना पड़ता था और साथ ही वे प्राधिकरण की प्रत्याशा में निर्यात का लाभ नहीं उठा सकते थे। दूसरी स्थिति में हालांकि, आयातक शुल्क मुक्त सामग्री के बजाय अन्यथा खरीदी गई सामग्री का उपयोग कर सकता था।

निर्यात वस्तुओं का निर्माण, लेकिन सामग्री (इस तरह से खरीदी गई) की प्रकृति आयात की जाने वाली इनपुट सामग्री के साथ सभी मामलों में समान होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जिन सामग्रियों का उपयोग निर्यात वस्तुओं में किया जाना था, उन्हें केवल आयात के लिए अनुमति दी जा सकती थी। इस मामले में, 'पूर्व आयात शर्त' का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी-आयातक में निर्यात का लाभ उठा सकता था।

प्राधिकरण की प्रत्याशा। राजस्व ने तर्क दिया कि इसलिए

4.03 एफ. टी. पी.। 21. यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि 'पूर्व आयात शर्त' एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 4.13 में उल्लिखित इनपुट के संबंध में होनी चाहिए, जो वर्तमान मामले में ऐसा नहीं था। अदालत का यह आग्रह कि आयात से पहले की वस्तुओं का एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 4.13 के तहत विशेष रूप से उल्लेख किया जाना था, गलत था। राजस्व ने बताया कि अनुच्छेद 4.13 (1) ने स्वयं इस मुद्दे को छोड़ दिया है जिसके बारे में सूचित करने के लिए डी. जी. एफ. टी. के लिए इनपुट को 'पूर्व आयात शर्त' के अधीन रखा गया हैः 15

" डी. जी. एफ. टी., अधिसूचना द्वारा, आयात से पहले की शर्त लगा सकता है

इस अध्याय के तहत निवेश।

15 एफ. टी. पी. का अनुच्छेद 4.13 (1)।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

प्रावधान को स्पष्ट रूप से खुला छोड़ दिया गया, किसी भी माल पर 'पूर्व-आयात शर्त' लागू करने की गुंजाइश जो उक्त द्वारा कवर की जा सकती थी

नीति का अध्याय 4। इसलिए, एए के तहत आयातित सभी वस्तुओं के लिए इस तरह की शर्त को लागू करना नीति निर्माताओं की क्षमता और अधिकार के भीतर था। यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि डी. जी. एफ. टी. को अधिसूचना No.33/2015-20 दिनांकित 13.10.2017 जारी करने का विधिवत अधिकार था। यह अधिसूचना सामान्य प्रकृति की थी और इसके दायरे से किसी भी वस्तु को बाहर नहीं किया गया था। एकमात्र शर्त यह थी कि जहां कहीं भी आयातक आई. जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर छूट का लाभ उठाना चाहता है, वहां 'पूर्व-आयात शर्त' को पूरा करना होता था। माल के एक समूह का विशिष्ट उल्लेख वाली किसी भी नकारात्मक सूची के अभाव में, जो उक्त प्रावधान द्वारा कवर नहीं किया जाना था, सभी सामान उक्त अधिसूचना द्वारा कवर किए गए थे और एक समान शर्त के अधीन थे। यह भी आग्रह किया गया कि उस उद्देश्य के लिए प्रत्येक संभावित वस्तु को निर्दिष्ट करना न तो व्यावहारिक था और न ही संभव था। किसी की अनुपस्थिति में

अधिसूचना में नकारात्मक सूची, ऐसी 'पूर्व-आयात शर्त' आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं के लिए लागू थी।

22. ए. एस. जी. ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 4.22 के साथ मिलकर जारी किए गए परिशिष्ट 4जे के उद्देश्य को समझने में गलती की।

सामान्य रूप से निर्यात दायित्व अवधि के रूप में 18 महीने निर्दिष्ट करना। इसने यह भी प्रावधान किया कि ऐसी अवधि परिशिष्ट-4जे में उल्लिखित वस्तुओं के एक समूह के लिए अलग थी। इसलिए, परिशिष्ट-4जे पैराग्राफ 4.22 का हिस्सा था और पैराग्राफ 4.13 का हिस्सा नहीं था। इसके अलावा, परिच्छेद 4.22 के उद्देश्य के लिए परिशिष्ट-4जे एक नकारात्मक सूची थी, जिसमें वस्तुओं का एक समूह निर्दिष्ट किया गया था, जिसके लिए निर्यात दायित्व अवधि सामान्य प्रावधान से अलग थी। इसके अलावा, उन वस्तुओं के संबंध में अतिरिक्त रूप से आयात से पहले की शर्त लागू थी। परिशिष्ट-4जे ("निर्दिष्ट निवेश के लिए निर्यात दायित्व अवधि") का शीर्षक स्पष्ट रूप से एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 4.22 को संदर्भित करता है और एच. बी. पी. का अनुच्छेद 4.42। यह स्पष्ट था कि इसका उद्देश्य निर्दिष्ट वस्तुओं की निर्यात दायित्व अवधि को परिभाषित करना था। यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल इसलिए कि परिशिष्ट-4जे ने 'पूर्व-आयात शर्त' के अनुपालन के लिए प्रावधान किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह केवल उन वस्तुओं की सूची बन गई है जिन पर 'पूर्व-आयात शर्त' लागू थी।

23. यह तर्क दिया गया था कि पैराग्राफ के बीच कोई टकराव नहीं था

4.14 एच. बी. पी. का और एफ. टी. पी. का अनुच्छेद 4.13 क्योंकि अनुच्छेद 4.14 [2023] 7 एस. सी. आर.

अनुच्छेद 4.13 के दायरे में नहीं आने वाले निवेशों के मामले में भी 'आयात-पूर्व शर्त' लागू की गई। यह निष्कर्ष एक गलत समझ के आधार पर निकाला गया था कि परिशिष्ट 4जे के तहत केवल सीमित मदों को पैराग्राफ 4.13 द्वारा कवर किया गया था। आई. जी. एस. टी. के भुगतान से छूट का लाभ उठाते हुए ए. ए. के तहत आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं को एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 4.13 के संदर्भ में जारी अधिसूचना संख्या 33/13.10.2017 द्वारा कवर किया गया था। उक्त अधिसूचना के आधार पर, जिस क्षण किसी भी निर्माता ने आई. जी. एस. टी. लाभ का लाभ उठाते हुए ए. ए. के तहत किसी भी वस्तु का आयात करने का निर्णय लिया, पैराग्राफ 4.14 के तहत गणना की गई 'पूर्व-आयात' आवश्यकता आकर्षित हुई। अधिसूचना ने एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 4.13 और 4.14 के बीच एक सेतु के रूप में काम किया। वे एफ़. टी. पी. की भावना के अनुरूप थे।

24. विद्वान ए. एस. जी. ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई अधिसूचनाओं में कुछ करों के उद्ग्रहण से छूट देने की शर्तों में संशोधन किया जाए। प्रत्यर्थी निर्यातकों ने शुल्क लगाने की शक्ति को चुनौती नहीं दी थी; उनका एकमात्र तर्क था कि अधिसूचना में पहली बार पेश की गई 'आयात-पूर्व' शर्त बोझिल थी। वे यह भी तर्क देते हैं कि ये स्थितियाँ विरोधाभासी थीं और व्यवसाय को बोझिल बनाती थीं। एएसजी ने प्रस्तुत किया कि एक बार शक्ति अधिरोपित करना निर्विवाद था, जिन शर्तों के तहत ऐसे शुल्क लगाए गए थे, और जिस तरीके से उन्हें एकत्र किया गया था, वे विधायिका या संसद के अधिकार क्षेत्र में थे। जब तक यह नहीं दिखाया गया कि क़ानून ने संग्रह की एक ऐसी विधि लागू की है जो मनमाना या मनमाना है, तब तक अदालतों को शुल्क में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी तरह, एक लेवी विफल हो सकती है यदि मूल्यांकन और संग्रह के लिए कोई तंत्र नहीं था। खान्डिगे शाम भट बनाम कृषि आयकर अधिकारी 1 6; शहरी भूमि कर के सहायक आयुक्त बनाम बकिंघम एंड कर्नाटक कंपनी लिमिटेड "7; आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ 1 8 18; भारत संघ बनाम वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया (पी) लिमिटेड" के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णयों पर रिलायंस को रखा गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि अदालतों को किसी भी वित्तीय कानून की व्याख्या करते समय चौकस रहना चाहिए, और कानून द्वारा या प्रत्यायोजित कानून के माध्यम से लगाए गए प्रावधानों या छूट की शर्तों, या शर्तों को अनुचित या मनमाना नहीं मानना चाहिए। विद्वान ए. एस. जी. ने आग्रह किया कि एक नया कानून होने के नाते, संघ को अलग-अलग विचारों और मानदंडों को ध्यान में रखना होगा, और पूरे अप्रत्यक्ष कर स्पेक्ट्रम को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है।

16 1963 (3) एससीआर 809। 17 1970 (1) एससीआर 268।

18 1981 (1) एससीआर 947।

2022 (2) एससीसी 603।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

25. अंत में यह आग्रह किया गया कि संघ द्वारा अधिसूचना संख्या 1/2019-क्यूस दिनांक 10-01-2019 की शुरूआत, जिसके तहत 'पूर्व-आयात शर्त' की आवश्यकता वाली शर्त (xii) को हटा दिया गया था, यह कहने का आधार नहीं हो सकता है कि जिस अवधि के लिए ऐसी शर्त मौजूद थी, उसकी अवहेलना की जा सकती है। यह तर्क दिया गया था कि उक्त बाद की अधिसूचना एक प्रक्रिया द्वारा नहीं हो सकती थी

न्यायिक तर्क को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाए, क्योंकि एफ. टी. डी. आर. ए. के मूल प्रावधान भी अधीनस्थ पूर्वव्यापी विधान की अनुमति नहीं देते थे।

V. प्रत्यर्थी-निर्यातकों की दलीलें

26. वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि एफ. टी. पी. के तहत ए. ए. या तो किसी निर्माता-निर्यातक को जारी किया जा सकता है या

एक व्यापारी निर्यातक जो पिछले निर्यात प्रदर्शन (कम से कम पिछले दो वित्तीय वर्षों में) के साथ एक सहायक निर्माता के साथ जुड़ा हुआ है। प्रदान किए गए आयात के सी. आई. एफ. मूल्य के संदर्भ में पात्रता 300% तक थी। भौतिक निर्यात के एफ. ओ. बी. मूल्य और/या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में मानित निर्यात के एफ. ओ. बी. मूल्य या 1 करोड़, जो भी अधिक हो। एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 4-3 के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर, उत्तरदाताओं को ए. ए. लाइसेंस जारी किए गए।

27. आई. जी. एस. टी. की अधिसूचना के बाद, पूर्ववर्ती एफ. टी. पी. व्यवस्था में ए. ए. के माध्यम से निर्यातकों को अग्रिम छूट का लाभ दिया जाता है। अधिसूचना संख्या 26/2017-सीमा शुल्क दिनांक 29 जून 2017 ("संशोधित जी. एस. टी. अधिसूचना") द्वारा योजना में शुरू किए गए संशोधन के माध्यम से रद्द कर दिया गया था।

28. यह प्रस्तुत किया गया था कि एए योजना चल रही थी

बिना किसी बाधा या दुरुपयोग के, 1986 से अपनी स्थापना के बाद से, बिना किसी 'पूर्व आयात शर्त' के। यह 10.01.2019 के बाद से भी सफलतापूर्वक काम कर रहा था जब केंद्र सरकार ने जनहित में 'पूर्व-आयात शर्त' को हटा दिया था। इस प्रकार, 'आयात-पूर्व शर्त' को केवल 13.10.2017 से 09.01.2019 तक की सीमित अवधि के लिए लागू करने में कोई तर्क या औचित्य नहीं था।

स्थिति।

29. यह आग्रह किया गया कि 'आयात-पूर्व शर्त' को ऐसी सीमित अवधि के लिए केवल आई. जी. एस. टी. से छूट के लिए लागू किया गया था और

क्षतिपूर्ति उपकर, जबकि अन्य आयात शुल्क, अर्थात् बी. सी. डी., ए. डी. डी., सुरक्षा शुल्क आदि को लगभग 13 महीने की इस अवधि के दौरान भी 'पूर्व-आयात शर्त' के बिना छूट दी गई थी।

30. यह प्रस्तुत किया गया था कि कोई कारण या औचित्य प्रदान नहीं किया गया था

आई. जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर को इस 'आयात-पूर्व शर्त' के अधीन करने के लिए, [2023] 7 एस. सी. आर.

और इस शर्त को अन्य प्रकार के आयात शुल्कों के लिए लागू नहीं करना। यदि एए के लिए 'पूर्व आयात शर्त' लागू होती, तो पूरी योजना को रद्द कर दिया जाता क्योंकि किसी भी निर्माता-आयातक के लिए पूर्व-आयात शर्त को पूरा करना असंभव था, जब विदेशी ग्राहकों से खरीद आदेश प्राप्त करने के बाद 4 सप्ताह से 8 सप्ताह की छोटी अवधि के भीतर अंतिम उत्पादों की आपूर्ति करके निर्यात आदेशों को निष्पादित किया जाना था। एक विशिष्ट मामले में, निर्माता-निर्यातक खरीद आदेश प्राप्त करने के छह महीने से अधिक समय के बाद ही माल का निर्यात कर सकता था, यदि 'आयात-पूर्व शर्त' को पूरा करना था। नतीजतन, खरीद आदेश प्राप्त करने के लगभग 4 से 8 सप्ताह के वितरण कार्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता था। यह भी तर्क दिया गया कि प्राधिकरण के तहत सभी आयात "वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति" के अधीन थे। इसलिए, निर्माता निर्यातकों को किसी भी प्राधिकरण के खिलाफ शुल्क से मुक्त आयातित कच्चे माल को बेचने या निपटाने की अनुमति नहीं थी। नियमित निर्यातकों ने अपना व्यवसाय एक चक्र में किया, यानी उन्हें दिए गए कई प्राधिकरणों के खिलाफ शुल्क से मुक्त कच्चे माल का आयात करके और उन कई प्राधिकरणों के संदर्भ में निर्यात के लिए अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए ऐसी वस्तुओं का उपयोग करके। नतीजतन, एक विशेष प्राधिकरण के खिलाफ इनपुट की खेप के आयात और इस तरह के इनपुट के उपयोग के बीच कोई 'एक से एक' संबंध नहीं हो सकता है।

केवल उन विशेष प्राधिकरणों के खिलाफ निर्यात के लिए अंतिम उत्पादों का निर्माण-नियमित निर्माता-निर्यातकों के लिए ऐसा परिदृश्य संभव नहीं था। यह महसूस करने पर कि 'पूर्व-आयात'

शर्त 'से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, संघ ने 10.01.2019 पर शर्त को हटा दिया, जिसने निर्यातकों के रुख को सही ठहराया कि शर्त योजना के लिए अप्रासंगिक थी, और उस शर्त का एए योजना के उद्देश्यों के साथ कोई संबंध नहीं था।

31. यह प्रस्तुत किया गया था कि 'आयात-पूर्व शर्त' ने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है, जो विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।

उत्तरदाताओं ने लक्ष्मी खंडसारी बनाम उत्तर राज्य पर भरोसा किया। प्रदेश2ओ; हरियाणा राज्य बनाम जय सिंह 2 1; वेलफेयर एसोसिएशन एआरपी बनाम रंजीत पी. गोहिल 2 2 2; और आग्रह किया कि वर्गीकरण को उचित बनाने के लिए, इसे दोनों परीक्षणों को पूरा करना चाहिए। पहला, यह मनमाना, कृत्रिम या टालमटोल वाला नहीं होना चाहिए, और समझदार अंतर, कुछ वास्तविक और पर्याप्त अंतर पर आधारित होना चाहिए, जो व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है।

उन लोगों से कक्षा में एक साथ समूहबद्ध किया गया जिन्हें इससे बाहर रखा गया था। दो, अंतर

20 1981 (3) एससीआर 92। 21 2003 (9) एससीसी 114।

22 2003 (9) एससीसी 358।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

वर्गीकरण के आधार के रूप में अपनाया गया कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत या उचित संबंध होना चाहिए।

32. वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला कि 'आयात-पूर्व शर्त' की शुरुआत वर्ग का एक उदाहरण था

33. 13.10.2017 से पहले जारी ए. ए. पर 'पूर्व-आयात शर्त' लगाने से निर्यातक-उत्तरदाताओं को किसी के स्थान पर रखा गया। आयातक जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। उत्तरदाताओं ने संबंधित निर्यात दायित्व को पूरा करने के बाद माल का आयात किया था। यह.

में संशोधन के पूर्वव्यापी आवेदन के माध्यम से पुराने एए के लिए अनिवार्य 'पूर्व-आयात शर्त' को पूरा करना असंभव था

विवादित अधिसूचनाएँ, भले ही उत्तरदाता यह प्रदर्शित कर सकें कि सभी आयातित वस्तुओं का उपयोग बाद में निर्यात उत्पादों के निर्माण के लिए किया गया था।

34. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बी. सी. डी. और आई. जी. एस. टी. के अंतर उपचार का कोई कारण नहीं था।

एए योजना। जब आयातित वस्तुओं पर आई. जी. एस. टी. के शुल्क को बी. सी. डी. के शुल्क की तरह माना जाता था, तो कोई कारण नहीं था कि योजना के तहत लाइसेंस धारकों को बी. सी. डी. की बिना शर्त छूट क्यों नहीं दी गई।

इसी योजना के तहत आयातित वस्तुओं के लिए उपलब्ध आई. जी. एस. टी. छूट तक विस्तारित। मूल अधिसूचना संख्या 18/2015 के तहत बी. सी. डी. छूट की तुलना में आई. जी. एस. टी. लाभ के लिए यह अंतर व्यवहार किया गया-सीमा शुल्क न्यायसंगत नहीं था और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण के परीक्षण में विफल रहा। वहाँ बी. सी. डी. के लिए छूट देते समय आई. जी. एस. टी. के लिए लाभ से इनकार करने में दोनों के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। योजना के तहत उद्देश्यों के बराबर छूट के लिए आई. जी. एस. टी. और बी. सी. डी. के वर्गीकरण के पीछे कोई तर्क नहीं था।

35. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने भारत संघ (यूओआई) और अन्य पर भरोसा किया। बनाम। एन. एस. रत्नम एंड संस 2 3 जिसके पास यह अनुदान था सीमा शुल्क के भुगतान के लिए दो श्रेणियों के निर्धारकों के बीच अस्पष्ट अंतर के आधार पर अलग-अलग छूट भेदभावपूर्ण थी और

23 2015 (8) एससीआर 751।

अनुचित है। विद्वान वकील ने एम. आर. एफ. लिमिटेड, कोट्टायम बनाम का भी हवाला दिया। आसिस्टेंट। आयुक्त (आकलन) बिक्री कर और Ors.24 का यह कहना कि दो शुल्कों के संबंध में 'आयात-पूर्व' शर्त लागू करना मनमाना और अनुचित था।

36. वासु देव सिंह बनाम के मामले में भी इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया था। भारत संघ ", इस प्रस्ताव के लिए कि

प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति को मोटे तौर पर नियम बनाने की शक्ति और क़ानून के संचालन से छूट देने के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बाद की श्रेणी में, न्यायिक समीक्षा का दायरा व्यापक होगा क्योंकि वैधानिक प्राधिकरण को अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए यह दिखाना चाहिए कि यह न केवल उसके चारों कोनों के भीतर किया गया था, बल्कि पी. जे. ईरानी बनाम मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करता था। मद्रास राज्य 2 6. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि किसी अधिसूचना द्वारा अधिनियम को समाप्त कर दिया जाता है, तो इसे निरस्त किया जा सकता है।

37. यह प्रस्तुत किया गया था कि पूरी ए. ए. योजना को 'पूर्व-आयात शर्त' के आधार पर समाप्त कर दिया गया था और इसलिए, ऐसी शर्त को रद्द करने की आवश्यकता थी। रिलायंस को रखा गया था

प्रतिबंधों के कारण, यह दिखाना पड़ा कि परिस्थितियाँ उपचारात्मक और आवश्यक थीं। इसलिए यह तर्क दिया गया कि इसके पीछे कोई तर्क नहीं था 'आयात-पूर्व शर्त' (जिसका ए. ए. योजना द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं था) को लागू करते हुए, इसने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन किया और तदनुसार इसे अलग कर दिया गया।

VI. विश्लेषण और निष्कर्ष

38. ए. ए. योजना एफ. टी. पी. के तहत संघ द्वारा शुरू की गई शुल्क छूट योजना है। योजना के तहत, भुगतान से छूट

आयात शुल्क के लिए आवश्यक कच्चे माल/निवेश को दिया जाता है

25 2006 पूरक (9) एससीआर 565।

26 1962 (2) एस. सी. आर. 169 यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

निर्यात उत्पादों का निर्माण अर्थात, कोई भी निर्यात उत्पादों के उत्पादन के लिए शून्य सीमा शुल्क पर कच्चे माल या निवेश का आयात कर सकता है। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करना है। जब कच्चे माल पर भुगतान किए गए शुल्क की बचत होती है, तो यह अंतिम निर्यात उत्पाद की लागत को कम करता है। योजना के संदर्भ में, निर्यातक कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात कर सकता है। 27 ये निवेश या तो कच्चे/प्राकृतिक/अपरिष्कृत/विनिर्मित या विनिर्मित अवस्था में हो सकते हैं। निवेश के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी किए जाते हैं, जिन्हें फिर निर्यात वस्तुओं में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है।

अपव्यय के लिए सामान्य भत्ता)। इसके अलावा, ईंधन, तेल, वह उत्प्रेरक जो निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में खपत/उपयोग किया जाता है,

इसकी अनुमति भी दी जा सकती है। एए के तहत आयात को बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी), अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, डंपिंग रोधी शुल्क, काउंटरवेलिंग शुल्क (सीवीडी), सुरक्षा शुल्क और संक्रमण उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी।

39. उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य चुनौती थी -

' अधिसूचना संख्या 33/2015-2020 दिनांक 13.10.2017 द्वारा अंतःस्थापित एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 4.14 में पूर्व-आयात शर्त और अधिसूचना संख्या 18/2015 में खंड (xii) द्वारा प्रस्तुत 'पूर्व-आयात शर्त'-अधिसूचना संख्या 79/2017-सीमा शुल्क दिनांक 13.10.2017 द्वारा 'Cus दिनांकित 01.04.2015'।

40. एफ. टी. पी. के चौथे अध्याय में "शुल्क छूट/छूट" का प्रावधान है।

माफी योजनाएं "। शुल्क छूट योजनाओं में से एक एए है। नीति का अनुच्छेद 4-3 एए के लिए प्रावधान करता है और इस प्रकार पढ़ता हैः

" 4.03 अग्रिम प्राधिकरण

(क) शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए अग्रिम प्राधिकरण जारी किया जाता है।

निवेश, जिसे भौतिक रूप से निर्यात उत्पाद में शामिल किया जाता है

(अपव्यय के लिए सामान्य भत्ता देना)। इसके अलावा, ईंधन,

तेल, उत्प्रेरक जिसका उपभोग/उपयोग की प्रक्रिया में किया जाता है

निर्यात उत्पाद के उत्पादन की भी अनुमति दी जा सकती है।

(ख) संबंधित सूचनाओं के लिए अग्रिम प्राधिकरण जारी किया जाता है -

निम्नलिखित आधार पर परिणामी उत्पादः

(i) अधिसूचित मानक इनपुट आउटपुट मानदंडों (एस. आई. ओ. एन.) के अनुसार

(हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर्स में उपलब्ध);

27 एफ. टी. पी. पैराग्राफ 9.44 के अध्याय 9 के अनुसार, "कच्चा माल" वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक निवेश है।

या

((ii) प्रक्रिया पुस्तिका के अनुच्छेद 4.07 के अनुसार स्व-घोषणा के आधार पर। 28 41. इसके उद्देश्यों के लिए एफ. टी. पी. के अन्य प्रासंगिक प्रावधान

पैराग्राफ 4.13,4.14 और 4.16 हैं, जो एफ. टी. पी. 2015-2020 की शुरुआत के समय चींटी के समय थे, जिन्हें इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

" 4.13 " कुछ मामलों में पूर्व-आयात स्थिति

(i) डी. जी. एफ. टी. अधिसूचना द्वारा "पूर्व-आयात शर्त" लागू कर सकता है।

इस अध्याय के तहत निवेश के लिए।

उत्पादन मानक (एस. आई. ओ. एन.)। (iii) अपंजीकृत स्रोतों से दवाओं का आयात पूर्व निर्धारित होगा।

आयात की स्थिति "।

4.14 छूट प्राप्त कर्तव्यों का विवरण

अग्रिम प्राधिकरण के तहत आयात को छूट दी गई है।

बुनियादी सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, डंपिंग रोधी शुल्क, काउंटरवेलिंग शुल्क का भुगतान, सुरक्षा शुल्क, संक्रमण उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क, जहां भी लागू हो। एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 02 (सी), (डी) और (जी) के तहत आने वाली आपूर्ति के खिलाफ आयात को छूट नहीं दी जाएगी।

लागू डंपिंग रोधी शुल्क के भुगतान से,

काउंटरवेलिंग शुल्क, सुरक्षा शुल्क और संक्रमण उत्पाद

विशिष्ट सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो।

4.16 अग्रिम प्राधिकरण के लिए वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त

(i) अग्रिम प्राधिकरण और/या अग्रिम प्राधिकरण के तहत आयातित सामग्री 'वास्तविक उपयोगकर्ता' शर्त के अधीन होगी। निर्यात दायित्व पूरा होने के बाद भी यह हस्तांतरणीय नहीं होगा। हालांकि, प्राधिकरण धारक के पास निर्मित उत्पाद का निपटान करने का विकल्प होगा

एक बार निर्यात दायित्व पूरा होने के बाद शुल्क मुक्त निवेश से बाहर।

(ii) ऐसे मामले में जहां निर्यात की गई वस्तुओं के लिए इनपुट पर सेनवैट/इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया गया है, पूरा होने के बाद भी।

एफ. टी. पी. का ग्राफ 4.

भारत और ओ. आर. एस. का निऑन। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

निर्यात दायित्व के अनुसार, इस तरह के अग्रिम प्राधिकरण के खिलाफ आयातित माल का उपयोग केवल इसके निर्माण में किया जाएगा

देय माल, चाहे वह एक ही कारखाने के भीतर हो या बाहर (सहायक निर्माता द्वारा)। इसके लिए, प्राधिकरण धारक निर्यातक के विकल्प पर, निर्यात के लिए आवेदन दाखिल करते समय, सीमा शुल्क प्राधिकरण या चार्टर्ड एकाउंटेंट से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

क्षेत्रीय प्राधिकरण को दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र

चिंतित हैं।

(iii) विनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट/स्क्रैप, जैसा कि अनुमति है, लागू शुल्क के भुगतान पर निपटाया जा सकता है।

निर्यात दायित्व की पूर्ति से पहले भी। '

42. एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओ. जी. एफ. टी. ने एच. बी. पी. को दिनांक 01.04.2015 की एक सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया। ग्राफ 4.27 (ए) में "उच्चारण की अपेक्षा में निर्यात" का प्रावधान है जिसे नीचे निकाला गया हैः

" 4.27 प्राधिकरण की अपेक्षा में निर्यात

अग्रिम प्राधिकरण के लिए ईडीआई द्वारा सृजित फाइल संख्या की तारीख से किए गए निर्यात/आपूर्ति को स्वीकार किया जा सकता है।

ई. ओ. के निर्वहन की ओर। जारी किए गए प्राधिकरण के साथ निर्यात/आपूर्ति का सह-संबंध स्थापित करने के लिए प्रेषण/आपूर्ति दस्तावेज़ों को फाइल संख्या या प्राधिकरण संख्या के साथ अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(ख) यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो प्राधिकरण जारी किया जाएगा।

क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख को लागू इनपुट/आउटपुट मानदंडों के आधार पर। यदि बीच की अवधि में (यानी आवेदन दाखिल करने की तारीख और प्राधिकरण जारी करने की तारीख से) मानदंड बदल जाते हैं, तो प्राधिकरण अस्थायी निर्यात/आपूर्ति के अनुपात में जारी किया जाएगा।

मानकों में किसी भी संशोधन को अधिसूचित किए जाने तक पहले से ही किया गया है। शेष निर्यातों के लिए, प्राधिकरण जारी होने की तारीख से लागू नीति/प्रक्रियाएं लागू होंगी।

(ग) एस. सी. ओ. एम. ई. टी. वस्तुओं के निर्यात की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि आवश्यक एस. सी. ओ. एम. ई. टी. न हो।

आवेदक द्वारा प्राधिकरण प्राप्त किया जाता है।

43. प्राधिकरण की प्रत्याशा में निर्यात की अनुमति देने वाला प्रावधान [2023] 7 एस. सी. आर. के आधार पर निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए निर्यात को समाप्त कर देता है।

ए. ए. के अनुदान से पहले भी फाइल संख्या। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस शर्त को संशोधित नहीं किया गया था और इसकी प्रत्याशा में निर्यात किया गया था

अनुमति दी गई थी।

44. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना संख्या 18/2015-क्यूस दिनांक 01.04.2015 द्वारा,

वैध ए. ए. के खिलाफ भारत में आयातित वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट सीमा शुल्क के पूरे शुल्क से छूट दी गई थी और अधिनियम की धारा 3,8 बी, 8 सी और 9 ए के तहत क्रमशः अतिरिक्त शुल्क, सुरक्षा शुल्क, संक्रमणकालीन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क और डंपिंग रोधी शुल्क से छूट दी गई थी। जी. एस. टी. व्यवस्था 01-07-2017 से लागू हुई। हालाँकि, इस अधिसूचना में कोई संबंधित संशोधन नहीं किया गया था, लेकिन सीमा शुल्क की धारा 3

अधिनियम, 1975 को धारा 3 (7) और (9) को प्रतिस्थापित करके संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा एकीकृत कर (एकीकृत वस्तुओं की धारा 5 के तहत) और

सेवा कर अधिनियम, 2017 और जी. एस. टी. अधिनियम (राज्यों को मुआवजा) उपकर अधिनियम, 2017 की धारा 8 के तहत देय वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर को शामिल किया गया थाः

" (7) भारत में आयात की जाने वाली कोई भी वस्तु, इसके अलावा, 40 प्रतिशत से अधिक की दर पर एकीकृत कर के लिए उत्तरदायी होगी।

एकीकृत वस्तुओं की धारा 5 के तहत देय है और सेवा कर अधिनियम, 2017 भारत में इसकी आपूर्ति पर एक समान लेख पर, आयातित वस्तु के मूल्य पर जैसा कि उप के तहत निर्धारित किया गया है।

खंड (8)।

**

***

(9) भारत में आयात की जाने वाली कोई भी वस्तु, इसके अलावा, वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर के लिए उत्तरदायी होगी।

ऐसी दर, जो माल की धारा 8 के तहत अधिरोपणीय है और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) उपकर अधिनियम, 2017 भारत में इसकी आपूर्ति पर एक समान लेख पर, आयातित के मूल्य पर

उप-धारा (10) के तहत निर्धारित लेख।

45. सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, जैसा कि जी. एस. टी. व्यवस्था के लागू होने के बाद संशोधित किया गया था, में निम्नलिखित अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया हैः

(1) उत्पाद शुल्क के बराबर शुल्क (अतिरिक्त शुल्क के रूप में संदर्भित) का उद्ग्रहण, जो कुछ समय के लिए उत्पाद शुल्क के बराबर है, यदि प्रस्तुत किया जाता है।

या भारत में निर्मित [धारा 3 (1) सी. टी. ए.]; भारत और भारत का संघ।

(2) ऐसे अतिरिक्त शुल्क का अधिरोपण जो इसके विपरीत हो-किसी भी कच्चे माल, घटकों और सामग्री पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क को संतुलित करता है, जैसा कि ऐसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण में उपयोग किया जाता है [धारा 3 (3) सी. टी. ए.];
(3) बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, स्थानीय कर या कुछ समय के लिए किसी समान वस्तु पर उसकी बिक्री, खरीद या परिवहन पर लगाए जाने वाले किसी अन्य शुल्क के संतुलन के रूप में अतिरिक्त शुल्क का अधिरोपण।

भारत [एसएडी, धारा 3 (5) सीटीए के तहत];

(4) संविधान की धारा 5 के तहत एकीकृत कर का उद्ग्रहण एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017; [धारा 3 के तहत]

(7) सी. टी. ए.] और;

(5) वस्तु एवं सेवा कर की धारा 8 के तहत ऐसी दर पर जी. एस. टी. क्षतिपूर्ति उपकर लगाना जो देय हो।

राज्य) उपकर अधिनियम, 2017 [एसएडी, धारा 3 (9) सी. टी. ए. के तहत]।

46. चूंकि धारा 3 (7) और (9) सी. टी. ए. के तहत देय अतिरिक्त शुल्कों को छूट देने वाली कोई संबंधित अधिसूचना नहीं थी, इसलिए निर्यातक

उन्हें आई. जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करना पड़ता था और जी. एस. टी. नियमों के तहत लागू इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना पड़ता था। हालांकि, एए के तहत आयात को बुनियादी सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क के भुगतान से छूट जारी रही।

सी. टी. ए. की धारा 3 की उप-धारा (1), (3) और (5) में निर्दिष्ट शुल्क, शिक्षा उपकर, डंपिंग रोधी शुल्क, सुरक्षा शुल्क और संक्रमण उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क, जहां भी लागू हो। 47. चूंकि ए. ए. के खिलाफ आई. जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर लगाया गया था, इसलिए उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कई मामलों में चुनौती दी गई थी।

याचिकाएँ, जिनमें अंतरिम राहत दी गई थी। जी. एस. टी. से संबंधित प्रारंभिक समस्याओं के कारण, आई. जी. एस. टी. के प्रतिबद्ध धनवापसी में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप कई व्यवसायों के लिए कार्यशील पूंजी बाधित हो गई। द यूनियन फिर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए (अधिसूचना 79/2017-दिनांक 13.10.2017) अधिसूचना के शुरुआती पैराग्राफ (दिनांक 1.4.2015) में संशोधन करते हुए दिनांक 13-10-2017 को एक संशोधन अधिसूचना जारी की, जिसके तहत भारत में आयातित माल को सीमा शुल्क

अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट सीमा शुल्क के पूरे शुल्क से और धारा 3 की उप धारा (1), (3) और (5) के तहत उस पर देय पूरे अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई थी, धारा 3 की उप धारा (7) के तहत उस पर देय आई. जी. एस. टी. और उप धारा (9) के तहत देय क्षतिपूर्ति उपकर। संशोधनकारी अधिसूचना ने परंतुक के बाद शर्त (viii) में एक परंतुक भी पेश किया, जो इस प्रकार हैः

" बशर्ते कि कुछ भी निहित होने के बावजूद

उपरोक्त प्राधिकरणों के लिए जहां छूट दी गई है

एकीकृत कर और वस्तु एवं सेवा कर से

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) और उप-धारा (9) के तहत उस पर देय क्षतिपूर्ति उपकर का लाभ उठाया गया है, निर्यात दायित्व को पूरा किया जाएगा

केवल भौतिक निर्यात "।

उक्त अधिसूचना में शर्त (xii) भी डाली गई है जो इस प्रकार हैः

" (xii) कि एकीकृत कर और वस्तुओं से छूट

और उस पर देय सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर

सीमा शुल्क की धारा 3 की उप-धारा (7) और उप-धारा (9)

शुल्क अधिनियम आयात-पूर्व शर्तों के अधीन होगा।

48. इस प्रकार, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 (7) के तहत आई. जी. एस. टी. के उद्ग्रहण से छूट और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 (9) के तहत देय उपकर, इन शर्तों के अधीन थे कि निर्यात दायित्व केवल भौतिक निर्यात के नेतृत्व में होगा और यह 'पूर्व-आयात' के अधीन भी होगा। छूट अधिसूचना के संशोधन के साथ, अधिसूचना संख्या 33/2015-2020 (दिनांक 13-10-2017), पैराग्राफ 4.14ई. एफ. टी. पी. को भी निम्नानुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया थाः

" 4.14 : कर्तव्यों के विवरण को छूट दी गई है।

अग्रिम प्राधिकरण के तहत आयात को छूट दी गई है।

बुनियादी सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान,

शिक्षा उपकर, डंपिंग रोधी शुल्क, काउंटरवेलिंग शुल्क, सुरक्षा शुल्क, संक्रमण उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क,

जहाँ लागू हो। आपूर्ति के विरुद्ध आयात के अंतर्गत आता है

एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 7.02 (सी), (डी) और (जी) को लागू डंपिंग रोधी शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी जाएगी।

काउंटरवेलिंग शुल्क, सुरक्षा शुल्क और संक्रमण उत्पाद

विशिष्ट सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो। हालांकि, आयात के तहत

भौतिक निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकरण को भी छूट दी गई है।

संपूर्ण एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से

उप-धारा (7) और उप-धारा (9) के तहत देय,

सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अनुसार,

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में प्रदान किया जा सकता है

राजस्व और ऐसे आयात पूर्व-आयात के अधीन होंगे।

शर्त "। भारत और ओ. आर. एस. का निऑन। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]49. इस स्तर पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निर्यातक एक व्यापार सूचना (व्यापार सूचना 11/2017, दिनांक 30-06-2017) के माध्यम से लागू होने के कारण हुए परिवर्तनों से अवगत थे। जिस हद तक यह वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, उसे नीचे निकाला गया हैः

" व्यापार सूचना 11/2017

विषयः के संदर्भ में महत्वपूर्ण एफ. टी. पी. प्रावधान लागू होने वाली जी. एस. टी. व्यवस्था का कार्यान्वयन 01.07.2017

जी. एस. टी. व्यवस्था के तहत, भुगतान से कोई छूट नहीं

एकीकृत जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर उपलब्ध होगा।

अग्रिम प्राधिकरण के तहत आयात के लिए।

एफ़. टी. पी. 2015-20 के अध्यायवार प्रावधानः

सामान्य प्रावधानः

**

अध्याय 4

जी. एस. टी. व्यवस्था के तहत, भुगतान से कोई छूट नहीं एकीकृत जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर उपलब्ध होगा।

अग्रिम प्राधिकरण के तहत आयात के लिए।

आयातकों को आई. जी. एस. टी. का भुगतान करना होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होगा।

जैसा कि जीएसटी नियमों के तहत लागू होता है।

हालांकि, अग्रिम प्राधिकरण के तहत आयात होगा

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 (1), 3 (3) और 3 (5) के तहत निर्दिष्ट बुनियादी सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क के भुगतान से छूट जारी रखी जाएगी।

डंपिंग शुल्क, सुरक्षा शुल्क और संक्रमण उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क, जहां भी लागू हो।

लागू होने वाले जी. एस. टी. को स्थानीय बनाने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

अग्रिम के अमान्यकरण पत्र का उपयोग करके खरीद

प्राधिकरण आईडीएफआईए। माल का प्राप्तकर्ता इनपुट टैक्स ले सकता है।

ऐसी स्थानीय खरीद पर भुगतान किए गए जी. एस. टी. के क्रेडिट सी. आई. टी. सी.)।

इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग जी. एस. टी. नियमों के अनुसार किया जा सकता है।

अग्रिम रिलीज ऑर्डर सुविधा उपलब्ध नहीं होगी

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध निवेशों को छोड़कर 11वीं अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत निवेशों की खरीद,

1944 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2017 संख्या [2023] 7 एस. सी. आर. के साथ पढ़ें।

18 2017 का, 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी। आर. ए. को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुसूची-4 वस्तुओं को छोड़कर ए. आर. ओ. जारी न करें जैसा कि ऊपर बताया गया है।

एफ. टी. पी. के अध्याय 4 के तहत रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए पुनःपूर्ति योजनाओं के तहत आयात/निर्यात और

एच. बी. पी. सीमा शुल्क अधिसूचना जारी/जारी किए जाने के अधीन होगा।

इस संबंध में जारी किया गया "।

50. सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट रूप से आगाह किया गया था कि एए और उनका उपयोग उसी तरह से जारी नहीं रहेगा जैसे एए योजना अब तक चल रही थी। यह व्यापार सूचना उच्च न्यायालय के ध्यान से बच गई है, क्योंकि विवादित आदेश में इसका कोई विज्ञापन या इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसी तरह, एच. बी. पी. में संशोधन किया गया, और अनुच्छेद

4.27 (घ) सम्मिलित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 'पूर्व-आयात शर्त' के अधीन निवेश के लिए शुल्क मुक्त प्राधिकरण जारी नहीं किया जा सकता है। उक्त खंड है -

इस प्रकार हैः

" ((iv) आयात से पहले की शर्तों के अधीन किसी निवेश के लिए कोई शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण जारी नहीं किया जाएगा।

52. यह कानून की बात है कि एफ़. टी. पी. वैधानिक हैं और एफ़. टी. आर. ए. 29 की धारा 5 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ द्वारा बनाए गए हैं। उस पर दूसरी ओर, एच. बी. पी. के पास नियमों या विनियमों का दर्जा नहीं है। इसमें केवल दिशानिर्देश शामिल हैं। हिन्दुस्तान ग्रेनाइट्स बनाम भारत संघ 3 0 में इस न्यायालय ने कहा किः

" प्रक्रिया पुस्तिका केवल नीति को लागू करती है। यह केंद्र सरकार को नीति में बदलाव करने से नहीं रोकता है।

53. हिंदुस्तान ग्रेनाइट्स में तथ्य यह था कि 01.04.2004 पर, FTP 2004-2009 लागू हुआ। उक्त एफ. टी. पी. ने "रत्न और आभूषण इकाइयों के अलावा" इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र ("डी. टी. ए".) की बिक्री की अनुमति दी, जो रियायती शुल्कों के भुगतान पर सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा आय ("एन. एफ. ई".) की पूर्ति के अधीन निर्यात के एफ. ओ. बी. मूल्य का 50 प्रतिशत तक है। पैराग्राफ 6.8 (एच) में कहा गया हैः 29 भारत संघ बनाम। एशियाई खाद्य उद्योग, (2006) पूरक (8) एससीआर 485। 30 2007 (4) एससीआर 743।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" (ज) ई. ओ. यू./ई. एच. टी. पी./एस. टी. पी./बी. टी. पी. इकाइयाँ तैयार उत्पादों को बेच सकती हैं, जो पूर्ण शुल्कों के भुगतान के खिलाफ विकास आयुक्त को सूचना के तहत डी. टी. ए. में नीति के तहत स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हैं, बशर्ते कि उन्होंने सकारात्मक एन. एफ. ई. हासिल कर लिया हो।

54. एक अधिसूचना द्वारा उक्त एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 6.8 (ए) और पैराग्राफ 6.8 (एच) में संशोधन किया गया, जिससे ई. ओ. यू. को डी. टी. ए. बिक्री करने से रोका जा सके।

आयातित खुरदरे संगमरमर से बने तैयार संगमरमर का, तत्काल प्रभाव से। यह परिवर्तन इकाई को अनुमति पत्र के नवीनीकरण के कुछ महीनों बाद किया गया था, जिसमें इसे 5 साल के लिए संगमरमर की टाइलों के निर्माण और निर्यात के लिए अधिकृत किया गया था, जो एक निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा के अधीन था। विवाद

55. वर्तमान मामले में विवादित निर्णय व्यापक रूप से इस तर्क पर आधारित है कि अधिसूचना द्वारा संशोधन 79/2017 दिनांक 13.10.2017 में उस सीमा तक शुल्क के भुगतान की आवश्यकता थी, और

' आयात-पूर्व शर्तें विशिष्ट वस्तुओं के संबंध में होती हैं और आक्षेपित अधिसूचनाएं, क्योंकि वे सभी वस्तुओं पर 'आयात-पूर्व शर्त' लागू करती हैं, प्रावधान के विपरीत हैं। इसके अलावा, बुनियादी सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों के संबंध में 'पूर्व-आयात शर्तों' की अनुपस्थिति, जहां ए. ए. की प्रत्याशा में, शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है, आई. जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर के संबंध में ऐसी 'पूर्व-आयात शर्तों' का पालन करने की आवश्यकता के विपरीत, ए. ए. को मूल्यहीन बना दिया। अंत में, यह माना गया कि जिन निर्यातकों को निवेश का आयात करना होता है, उन्हें 'आयात-पूर्व शर्त' को पूरा करने में असंभवता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तैयार उत्पादों के आयात और निर्यात का सामान्य चक्र छह महीने की अवधि के लिए होगा, जबकि जिस अवधि की शासन अनुमति देता है, वह तीन महीने तक काम करेगी। 56. सबसे पहले 'आयात-पूर्व स्थिति' की शुरुआत का विश्लेषण करना आवश्यक होगा। एफ. टी. पी. ने, अन्य बातों के साथ-साथ, ए. ए. को इनपुट के शुल्क मुक्त आयात के लिए सुविधा प्रदान की, जिसे भौतिक रूप से निर्यात उत्पाद में शामिल किया जाता है, जिससे अपव्यय के लिए सामान्य भत्ता (एफ. टी. पी. का अनुच्छेद 4-3) मिलता है। निस्संदेह, इसके पीछे तर्क या उद्देश्य निर्यात व्यापार को सुचारू और सुविधाजनक बनाना था, यह सुनिश्चित करना कि निर्यात के लिए तैयार वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी मूल्य का नुकसान न हो। हालांकि, 'आयात-पूर्व स्थिति' की अवधारणा विदेशी नहीं थी-परिशिष्ट-4जे (एफटीपी के पैराग्राफ 4.13 (ii) में उल्लिखित) ने कई वस्तुओं को सूचीबद्ध किया, जैसे कि मसाले, पेनिसिलिन और इसके लवण, [2023] 7 एस. सी. आर.

चाय, नारियल का तेल, रेशम, अपंजीकृत स्रोतों से दवाएं, कीमती धातुएं आदि उन वस्तुओं के रूप में जिनके लिए जी. एस. टी. व्यवस्था से पहले 'पूर्व-आयात शर्त' लागू थी। इसके अलावा, एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 4.13 के अनुसार, डी. जी. एफ. टी. निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं पर 'आयात-पूर्व शर्तें' लागू कर सकता हैः

" (i) डी. जी. एफ. टी. अधिसूचना द्वारा "पूर्व-आयात शर्त" लागू कर सकता है।

इस अध्याय के तहत निवेश के लिए "।

57. परिशिष्ट-4जे में निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं पर 'आयात-पूर्व शर्तें' लागू करने की शक्ति को बनाए रखने का मतलब था कि

एए के तहत इनपुट सामग्री के आयात के समय आई. जी. एस. टी. के भुगतान से छूट दी गई थी। हालाँकि, छूट पूर्ण नहीं थी। अधिसूचना (सं. 79/2017) में शामिल शर्तों में से एक यह थी कि छूट केवल तब तक दी जा सकती है जब तक कि ए. ए. के तहत किया गया निर्यात प्रकृति में भौतिक निर्यात हो और दूसरी यह कि इसका लाभ उठाया जा सके। लाभ, एक 'आयात-पूर्व शर्त' का पालन करना था।

59. ' भौतिक निर्यात 'को एफ. टी. डी. आर. ए. की धारा 2 (ई) के साथ पठित एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 4.05 (सी) और पैराग्राफ 9.20 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

(ङ) "आयात" और "निर्यात" का अर्थ है क्रमशः भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से भारत में माल लाना या उससे बाहर ले जाना।

इसलिए, अनिवार्य रूप से निर्यात में भारत से माल को बाहर ले जाना शामिल है। ए. ए. या तो निर्माता निर्यातक या व्यापारी को जारी किए जा सकते हैं।

सहायक निर्माता से जुड़ा हुआ निर्यातक (पैराग्राफ 4.05 के अनुसार)। हालांकि, एफ़. टी. पी. का पैराग्राफ 4.05 उन श्रेणियों को परिभाषित करता है जिनके लिए ए. ए. जारी किए जा सकते हैं, कुछ हद तक व्यापक रूप से और निर्धारित करता है कि -

" (ग) निम्नलिखित के लिए अग्रिम प्राधिकरण जारी किया जाएगाः

भारत और ओआरएस का संघ। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(i) भौतिक निर्यात (एस. ई. जेड. को निर्यात सहित);

((ii) मध्यवर्ती आपूर्ति; और/या

(iii) इस एफ. टी. पी. के पैराग्राफ 02 (बी), (सी), (ई), (एफ) (जी) और (एच) में उल्लिखित श्रेणियों में वस्तुओं की आपूर्ति। ((iv) विदेश जाने वाले पोत/विमान के बोर्ड पर 'भंडार' की आपूर्ति, इस शर्त के अधीन कि एक विशिष्ट मानक है।

आपूर्ति की गई वस्तु के संबंध में इनपुट आउटपुट मानक।

परिभाषा विशिष्ट शब्दों में फैली हुई है (एफ. टी. पी. के अध्याय 4 के तहत)।

एस. ई. जेड. को की गई आपूर्ति को 'भौतिक निर्यात' माना जाता है, भले ही यह एक ऐसा कार्यक्रम न हो जिसमें माल को भारत से बाहर ले जाया जा रहा हो। दूसरे ने (ग) (ii), (iii) और (iv) के तहत परिभाषित तीन श्रेणियां 'भौतिक निर्यात' के रूप में अयोग्य हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं की आपूर्ति पत्र द्वारा कवर की जाती है

अमान्यीकरण, जबकि एफ. टी. पी. के अध्याय 7 के तहत आने वाली आपूर्ति को 'मानित निर्यात' माना जाता है। ये आपूर्ति 'भौतिक निर्यात' माने जाने के लिए अयोग्य हैं। इसलिए, आपूर्ति की कोई भी श्रेणी, चाहे वह हो

अमान्यीकरण पत्र के तहत और/या ई. ओ. यू. और/या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आई. सी. बी.) और/या मेगा पावर परियोजनाओं के तहत, अन्य देश को वास्तविक निर्यात और एस. ई. जेड. को आपूर्ति के अलावा,

भौतिक निर्यात माना जाता है। विवादित अधिसूचनाओं के पीछे एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि निर्यात आदेशों के निर्वहन के लिए एए के तहत किया गया पूरा निर्यात भौतिक निर्यात हो। मामले में पूरा निर्यात भौतिक निर्यात नहीं था, एए स्वतः छूट के लिए अयोग्य थे।

60. जी. एस. टी. व्यवस्था की शुरुआत के परिणामस्वरूप राज्य और केंद्रीय स्तरों पर अप्रत्यक्ष कर संरचना में पर्याप्त और मौलिक सुधार हुआ। जी. एस. टी. व्यवस्था हटाने के विचार पर आधारित है।

क्रेडिट। कुछ अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए सभी प्रमुख अप्रत्यक्ष करों को जी. एस. टी. में शामिल कर दिया जाता है। नतीजतन, करदाता और आपूर्तिकर्ता विभिन्न कानूनों के तहत कई अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के बारे में परेशान नहीं हैं। जी. एस. टी. ढांचे में, इनपुट करों के क्रॉस-सेक्शनल क्रेडिट का उपयोग करने के लिए सरल नियम निर्धारित किए गए हैं। एक व्यापारी जो सेवाओं पर भुगतान किए गए कर के क्रेडिट का दावा नहीं

कर सकता है, वह वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं पर भी क्रेडिट ले सकता है और प्राप्त कर सकता है। निर्बाध ऋण की यह रूपरेखा यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि आपूर्ति पर कर [2023] 7 एस. सी. आर. हो।

मूल्यवर्धन और शुद्ध देयता की सीमा तक भुगतान-और दोहरे कराधान से बचने के लिए।

62. इस अदालत की राय में, आयात-पूर्व शर्त की शुरुआत के परिणामस्वरूप निर्यातकों को कठिनाई हुई होगी, क्योंकि भले ही वे भौतिक निर्यात मानदंडों को पूरा करते हों, लेकिन आवेदन करने के बाद भी वे निवेश आयात करने की अपनी पूर्व व्यावसायिक प्रथाओं को जारी नहीं रख सकते थे। एए के लिए, अपने विदेशी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए। नया।

वितरण के लिए उन्हें दो शुल्कों का भुगतान करने की आवश्यकता थी, और फिर धनवापसी का दावा करने की आवश्यकता थी, यह संतुष्ट करने के बाद कि अंतिम निर्यात वस्तुओं के उत्पादन के लिए निवेश का पूरी तरह से उपयोग किया गया था (अपव्यय को बाहर रखा गया था)। उनके व्यवसायों को फिर से आकार देने से उन्हें असुविधा हुई। फिर भी, यह अभिनिर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता है कि 'आयात-पूर्व शर्त' को सम्मिलित करना मनमाना था, जैसा कि उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था। यह रोहिताश कुमार एंड ओआरएस में आयोजित किया गया था। v ओम प्रकाश शर्मा और अन्य 3 1 कि असुविधा या कठिनाई इसके लिए आधार नहीं है अदालत कानून की सादा भाषा की अलग तरह से व्याख्या करे, राहत देने के लिए।

" मैसूर एस. ई. बी. बनाम. बैंगलोर वूलन कॉटन एंड सिल्क मिल्स लिमिटेड ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1128 इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि "असुविधा" एक निर्णायक कारक नहीं है।

किसी कानून की व्याख्या करते समय विचार किया जाता है। मार्टिन बर्न लिमिटेड वी. कॉर्प में। कलकत्ता ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 529 का यह न्यायालय, जबकि

31 (2013) 11 एससीसी 451।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उसी मुद्दे से निपटना जो नीचे देखा गया हैः (एयर पी। 535 ,

पैरा 14)

" 14. . किसी वैधानिक प्रावधान से निकलने वाला परिणाम कभी भी बुरा नहीं होता है। न्यायालय के पास उस प्रावधान को नजरअंदाज करने की कोई शक्ति नहीं है जिसे उसके संचालन से उत्पन्न संकट माना जाता है। एक क़ानून को निश्चित रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए कि क्या एक अदालत पसंद करती है

परिणाम हो या न हो। ”

26. इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को हुई कठिनाई, प्रावधान के प्रत्येक शब्द को प्रभावी और व्याकरणिक अर्थ नहीं देने का आधार नहीं हो सकती है, यदि -

उसमें इस्तेमाल की गई भाषा स्पष्ट है।

पुनः, मध्य प्रदेश राज्य बनाम राकेश कोहली 3 2 वाले मामले में यह कहा गया कि न्यायालय का संसद और राज्य विधानमंडलों के रूप में कानून के विवेक या अज्ञान, न्याय या अन्याय से कोई लेना-देना नहीं है और "किसी राजकोषीय कानून या आर्थिक कानून की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने में कठिनाई प्रासंगिक नहीं है।"

63. प्रत्यर्थियों ने कुछ निर्णयों पर भरोसा किया था, विशेष रूप से लक्ष्मी खंडसारी (उपरोक्त) जो तर्कसंगतता के सामान्य सिद्धांत से संबंधित थे; अदालत ने कहा कि उचित प्रतिबंधों को लागू करना और इसकी सीमा उस उद्देश्य पर निर्भर करेगी जिसे कानून या नीति पूरा करना चाहती है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सार्वभौमिक अनुप्रयोग के किसी भी कठोर और तेज़ नियम को निर्धारित करना मुश्किल था, लेकिन ऐसे प्रतिबंधों को लागू करने में राज्य को सामाजिक नियंत्रण के लिए एक वस्तुनिष्ठ मानक अपनाना चाहिए। रंजीत पी. गोहिल (ऊपर) मामले में अदालत ने वास्तव में कहा था किः

" यह उम्मीद करना मुश्किल है कि विधानमंडल एक ऐसा वर्गीकरण तैयार करेगा जो वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण या तार्किक रूप से पूर्ण हो या जो सभी की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। संबंधित, फिर भी न्यायालय विधानमंडल के विवेक द्वारा निर्धारित वर्गीकरण का सम्मान करेगा और केवल हस्तक्षेप करेगा

आश्वस्त होने पर कि वर्गीकरण का परिणाम होगा

पर स्पष्ट असमानता या स्पष्ट मनमानेपन

अनुच्छेद 14 की कसौटी। 64. एम. आर. एफ. लिमिटेड, कोट्टायम (ऊपर) में सूचित निर्णय था

यह कहने के लिए निर्भर किया कि छूट या कर लाभों को वापस लेने का सहारा नहीं लिया जा सकता है। चेहरे पर, इस न्यायालय की टिप्पणियों के संबंध में

32 2012 (6) एससीआर 661।

कर छूट को वापस लेना उत्तरदाताओं के लिए अनुकूल प्रतीत होता है। फिर भी, इस अदालत के साथ जो बात भारी पड़ी वह यह थी कि छूट वापस लेने की शक्ति पूर्वव्यापी नहीं थीः

" इस प्रकार जबकि उप-धारा (1) एक अनुदान को प्राधिकृत करती है

अधिनियम, उप-धारा (3) के तहत देय किसी भी कर के संबंध में पूर्वव्यापी प्रभाव से दर में छूट या कमी

पूर्वव्यापी रूप से किसी भी रद्दीकरण या परिवर्तन का प्रावधान नहीं है।

इन परिस्थितियों में, यह निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि एए की सुविधा 'पूर्व आयात शर्त' के बिना है। संभावित रूप से पेश किया गया था।

65. उत्तरदाताओं ने दो मामलों में भेदभाव का आरोप लगाया थाः एक, कि वर्गीकरण के उद्देश्यों के लिए, जिन सभी निर्यातकों को ए. ए. दिए गए थे, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना था; और दो, कि अन्य ए. ए. के संबंध में उस लाभ को देते हुए, केवल दो शुल्कों से छूट के संबंध में 'पूर्व-आयात शर्त' पर जोर देना भेदभावपूर्ण था। जहाँ तक पहले पहलू का संबंध है, इस अदालत की राय में विवादित निर्णय एफ़. टी. पी. के गलत अध्ययन पर है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 4.13 (i) ने स्वयं डी. जी. एफ. टी. को उन लेखों को शामिल करने का अधिकार दिया है, जो इसमें निर्दिष्ट नहीं हैं।

परिशिष्ट-4जे। इस विवेकाधिकार के अस्तित्व का अर्थ है कि निर्यात व्यापार की स्थिति और व्यापार और कर व्यवस्था में दी जाने वाली रियायतों को ध्यान में रखते हुए अपनाई जाने वाली नीतियों की प्रकृति के संबंध में लचीलापन है। इस प्रकार, पैराग्राफ 4.13 (ii) के आधार पर कुछ वस्तुओं के संकेत का मतलब यह नहीं था कि अन्य वस्तुओं को 'पूर्व आयात शर्तों' के अधीन नहीं किया जा सकता था। स्पष्ट रूप से, इसलिए, सभी ए. ए. धारकों के साथ कभी भी समान व्यवहार नहीं किया गया। दूसरे पहलू पर, जो बात उत्तरदाताओं को आहत करती है, वह प्रति एए का वर्गीकरण नहीं था, बल्कि नए में उनका भेदभाव था।

जहां तक दो नए शुल्कों का संबंध है, कर व्यवस्था शुरू की गई। अगर

यह ध्यान में रखा जाता है कि छूट का दावा करने का कोई व्यापक अधिकार नहीं हो सकता है, और यह कि इस तरह की राहत राज्य और कर प्रशासकों के मूल्यांकन के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति और सबसे बढ़कर, इसके प्रशासन के लिए तंत्र, स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण तर्क पर निर्भर है।

एक ओर दो शुल्कों और दूसरी ओर दूसरे करों का उपचार विफल होना पड़ता है। आयात-पूर्व शर्तों की आवश्यकता से छूट पुराने शुल्कों के संबंध में जारी है, जो आज भी जी. एस. टी. व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं। यह स्पष्ट रूप से उन्हें नए शुल्कों से अलग करता है, जिसके भुगतान पर जोर दिया जाता है (जिसके बाद धनवापसी की मांग की जा सकती है) शुल्क, मूल्यांकन, संग्रह, भुगतान और धनवापसी की एक एकीकृत प्रणाली के हिस्से के रूप में।

भारत और ओ. आर. एस. का निऑन। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

66. इस अदालत ने पिछले अवसरों पर यह अभिनिर्धारित किया है कि जब नए विधान में सुधार लाया जाता है, तो वर्गीकरण का सिद्धांत लागू होता है।

इसे सख्ती से लागू किया जाए, और यह कि प्रयोग के लिए कुछ भत्ता, कानून के प्रभाव को पूरा करता है, कार्यपालिका या विधायिका के लिए उपलब्ध है।

गुजरात राज्य बनाम श्री अम्बिका मिल्स 33 में जोर दिया गया था

" 55. एक वर्गीकरण निम्न-समावेशी है जब सभी जो हैं

शामिल करें। दूसरे शब्दों में, एक वर्गीकरण निम्नानुसार खराब है समावेशी जब कोई राज्य व्यक्तियों को किसी तरह से लाभान्वित करता है या बोझ डालता है

जो एक वैध उद्देश्य को आगे बढ़ाता है लेकिन प्रदान नहीं करता है समान लाभ या समान बोझ दूसरों पर डालें जो हैं

समान रूप से स्थित। एक वर्गीकरण सर्वसमावेशक होता है जब इसमें न केवल वे लोग शामिल होते हैं जो उद्देश्य के संबंध में समान रूप से स्थित होते हैं, बल्कि अन्य लोग भी शामिल होते हैं जो इस तरह से स्थित नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार के वर्गीकरण पर बोझ पड़ता है।

के वर्ग में शामिल व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला

जिन लोगों ने शरारत के साथ भाग लिया जिस पर कानून का उद्देश्य है। हेरोद

किसी विशेष स्थान पर पैदा हुए सभी पुरुष बच्चों की मृत्यु का आदेश देना। क्योंकि उनमें से एक दिन उसका

पतन ने इस तरह के वर्गीकरण को नियोजित किया।

56. इसलिए पहला सवाल यह है कि क्या इसका बहिष्कार किया गया है।

50 से कम व्यक्ति वर्गीकरण को समावेशी बनाते हैं, जब यह देखा जाता है कि 10 या 20 व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी कारखाने, जैसा भी मामला हो, इसे शामिल किया गया है और कानून का उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण के लिए अवैतनिक संचय प्राप्त करना है। चूँकि वर्गीकरण में वे सभी शामिल नहीं हैं जो कानून के उद्देश्य के संबंध में समान रूप से स्थित हैं, इसलिए वर्गीकरण, पहली नज़र में, ऐसा प्रतीत हो सकता है

अनुचित है। लेकिन अदालत ने बहुत वास्तविक को मान्यता दी है

विधानसभाएँ जिन कठिनाइयों के तहत काम करती हैं-कठिनाइयाँ विधायी प्रक्रिया और समाज दोनों की प्रकृति से उत्पन्न होने वाला कानून जिसे बार-बार नया रूप देने का प्रयास किया जाता है।

- और इसने सभी पर अंधाधुंध हमला करने से इनकार कर दिया है

यहाँ वर्गीकृत असमानता को मूर्त रूप देने वाला कानून

विचार करें। श्री न्यायमूर्ति होम्स, सहिष्णुता का आग्रह करते हुए

4 (3) एससीआर 760।

कि कानून के लिए कोई उचित कारण नहीं है जिसकी आवश्यकता नहीं होगी समान बल के साथ इसका विस्तार उन लोगों के लिए है जिन्हें यह छोड़ देता है

अछूत।

**

**

*

***

64. आर्थिक गतिविधि को विनियमित करने वाले कानूनों पर विचार किया जाएगा।

उन कानूनों से अलग जो स्वतंत्रता को छूते हैं और संबंधित हैं भाषण और धर्म, मतदान, प्रजनन, आपराधिक प्रक्रिया के संबंध में अधिकार, आदि। समान को दी गई प्रमुखता

कई आधुनिक विचारों और निर्णयों में संरक्षण खंड

अमेरिका सब से पता चलता है कि न्यायालय आर्थिक विनियमन की तुलना में मानव और नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में विधायी निर्णय को न्यायिक सम्मान देने के लिए कम विवश महसूस करता है।

यह समान सुरक्षा खंड का जोरदार उपयोग कर रहा है

मौलिक मानवाधिकारों के क्षेत्र में विधायी कार्रवाई को समाप्त करना। ["विकास समान संरक्षण", 32 देखें।

हार्व, लॉ रेव 1065,1127]

65. सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 14 के तहत कोई वर्गीकरण किया गया है। अंतिम विश्लेषण में उचित या अनुचित होना आवश्यक है

यह समस्या के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। द ग्रेट।

इस क्षेत्र में विभाजन जोर देने के बीच के अंतर में निहित है

कानून की वास्तविकताएँ या अमूर्तताएँ। जितना अधिक। जटिल समाज बन जाता है, इसकी विविधता उतनी ही अधिक होती है

समस्याएं और अधिक कानून खुद को विविधताओं की ओर निर्देशित करते हैं।

66. कि कानून व्यावहारिक समस्याओं के लिए निर्देशित है, कि

आर्थिक तंत्र अत्यधिक संवेदनशील और जटिल है, कि

कई समस्याएं एकमात्र और आकस्मिक हैं जो कानून नहीं हैं। अमूर्त प्रस्ताव और अमूर्त इकाइयों से संबंधित नहीं हैं और

अमूर्त समरूपता द्वारा मापा नहीं जाना है, कि सटीक ज्ञान

और उपचार के अच्छे अनुकूलन की आवश्यकता नहीं हो सकती है, कि

निर्णय काफी हद तक अल्प और अव्यक्त अनुभव पर आधारित एक भविष्यवाणी है, जो इस बात की याद दिलाता है कि

इस क्षेत्र में न्यायालय समान संरक्षण नहीं लेता है

शैक्षणिक तरीके से आवश्यकता [देखें "का सामान्य सिद्धांत

भारत और ओ. आर. एस. का संघ। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अजय कुमार बनर्जी एंड ओआरएस में भी यही विचार प्रतिध्वनित किया गया था। वी.

भारत संघ और अन्य 3 4

" ..... अनुच्छेद 14 विधायिका को लागू करने से नहीं रोकता है।

सुधार अर्थात कानून को कुछ संस्थानों पर लागू करके या केवल स्थिति की आवश्यकता के अनुसार वस्तुएँ या क्षेत्र

और चयन के आगे के वर्गीकरण को बनाए रखा जा सकता है ऐतिहासिक कारण या प्रशासनिक अनिवार्यता के कारण या

सुधारों को शुरू करने की टुकड़ों-टुकड़ों में विधि। कानून की जरूरत नहीं है।

समान रूप से अच्छी तरह से परिभाषित वर्ग के लोगों के साथ-के कर्मचारी बीमा कंपनियां और इस तरह का कानून इसके लिए खुला नहीं है।

इस आधार पर समान संरक्षण से इनकार करने का आरोप कि यह

अन्य व्यक्तियों के लिए कोई आवेदन नहीं था।

} }

इसी तरह, जावेद बनाम। हरियाणा राज्य 3 5 ने देखा कि कोई नहीं है

संवैधानिक बाध्यता कि किसी कानून या नीति को सभी पर लागू किया जाना चाहिए तुरंतः

" 16. एक समान नीति केंद्र द्वारा या एक द्वारा तैयार की जा सकती है

राज्य। हालांकि, कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है कि कोई ऐसी नीति को एक बार में लागू किया जाना चाहिए। नीतियाँ हैं -

चरणबद्ध तरीके से लागू करने में सक्षम। इससे भी ज़्यादा,

जब नीतियों के दूरगामी निहितार्थ होते हैं और

प्रकृति में गतिशील, चरणबद्ध तरीके से उनका कार्यान्वयन

इसका स्वागत है क्योंकि इसे धीरे-धीरे स्वेच्छा से स्वीकृति मिलती है और

कम प्रतिरोध को आमंत्रित करता है।

67. इसलिए, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि

आवश्यक रूप से उसी तरीके से जारी रखा जाए जैसे वे अतीत में थे। जब कानूनों का एक नया समूह अधिनियमित किया जाता है, तो विधायिका का प्रयास एक ओर, अतीत के शासन को आत्मसात करना है-जहां तक व्यावहारिक हो सके। दूसरी ओर, नए कानून का उद्देश्य नई परिचर शर्तों के साथ नए अधिकारों और दायित्वों का निर्माण करना है। अनिवार्य रूप से, इस प्रक्रिया से कुछ व्यवधान पैदा होना तय है। इस मामले में व्यवधान निर्यातकों के रूप में है 34 1984 (3) एससीआर 252। 35 (2003) 8 एससीसी 369।

निवेश आयात करने, दो शुल्कों का भुगतान करने और धनवापसी का दावा करने की आवश्यकता होती है। फिर भी, यह असुविधा निर्माण के विधायी विकल्प को पछाड़ने के लिए अपर्याप्त है।

एक पूरी तरह से नया राजकोषीय कानून, और इस बात पर जोर देते हुए कि

68. इस अदालत ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम नंदलाल जयसवाल 3 6 में यह भी कहा था कि "जटिल आर्थिक मामलों में हर निर्णय" अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य है, और यह प्रयोग पर आधारित है और यह कि न्यायालय, आर्थिक मामलों से संबंधित कार्यकारी कार्रवाई की वैधता पर विचार करते हुए एक निश्चित मात्रा में स्वतंत्रता प्रदान करता है या

जोड़ 'कार्यकारी के लिए'। न्यायालय ने महत्वपूर्ण रूप से इस बात पर जोर दिया कि -

" न्यायालय राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को केवल इसलिए रद्द नहीं कर सकता है क्योंकि उसे लगता है कि एक अन्य

नीतिगत निर्णय निष्पक्ष या बुद्धिमान या अधिक होता।

वैज्ञानिक या तार्किक। न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब नीतिगत निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण हो।

आर. के. गर्ग (ऊपर) में इस अदालत ने इसी तरह की सीमित भूमिका को स्पष्ट किया जो अदालत की वैधता या संवैधानिकता पर विचार करने में है।

राजकोषीय कानून, या आर्थिक उपाय, जिसमें कहा गया है कि "न्यायालय को विधायी निर्णय को न्यायिक सम्मान देने के लिए अधिक झुकाव महसूस करना चाहिए।

अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक विनियमन का क्षेत्र जहाँ

इसमें मौलिक मानवाधिकार शामिल हैं। इसी तरह, आशीर्वाद फिल्म्स बनाम। भारत संघ 3 7 इस न्यायालय ने कहाः

" विधानमंडल की वर्गीकरण करने की शक्ति व्यापक और लचीली है ताकि वह सभी क्षेत्रों में अपनी कराधान प्रणाली को समायोजित कर सके।

उचित और उचित तरीके। फिर भी, बड़ा अक्षांश है

राज्य को उचित आधार पर वर्गीकरण के लिए अनुमति दी गई है और जो उचित है वह व्यावहारिक विवरणों और विभिन्न कारकों का सवाल है जो न्यायालय अनिच्छुक होगा और

शायद जाँच करने के लिए तैयार नहीं। '

69. 'आयात-पूर्व शर्त' लागू करने के पीछे का उद्देश्य एफ़. टी. पी. के पैराग्राफ 4-3 और एच. बी. पी. के अनुलग्नक-4-जे. से स्पष्ट है।

36 1987 (1) एससीआर 01.

37 (2007) 6 एससीसी 624, भारत और ओआरएस का संघ। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

यह कि एफ. टी. पी. के प्रकाशित होने के समय केवल कुछ ही लेखों की गणना की गई थी, निर्यातकों के लिए यह शिकायत करने का कोई आधार नहीं है कि अन्य लेखों की गणना नहीं की जा सकती है। 'आयात-पूर्व शर्त' के उद्देश्य से शामिल; जैसा कि पहले माना गया था, वह पैराग्राफ 4.03 (i) का महत्व है। एफ. टी. पी. की कई योजनाएं एक ओर निर्यातकों के दावों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हैं और दूसरी ओर, राजस्व के हितों को बनाए रखने के लिए हैं। इसमें आई. जी. एस. टी. की छूट को छूट और स्थगित करना शामिल है, जो पूरी तरह से एक नया शुल्क है, जिसका तंत्र तैयार किया जा रहा था और विकसित किया जा रहा था।

पहली बार। पुराने ए. ए. के तहत 'पूर्व-आयात शर्तों' को पूरा करने की असंभवता का अनुरोध किया गया था, यह सुझाव देते हुए कि अधिसूचनाएं पूर्वव्यापी रूप से नई शर्तों को अनिवार्य करती हैं। निर्यातक उत्तरदाताओं का तर्क है कि एए के तहत बी. सी. डी. और आई. जी. एस. टी. के अंतर उपचार के लिए कोई तर्क नहीं है।

योजना योग्यता के बिना है। बी. सी. डी. आयात के बिंदु पर एक सीमा शुल्क है।

उस स्तर पर, ऋण का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी ओर, आई. जी. एस. टी. कई बिंदुओं (आयात के चरण सहित) पर लगाया जाता है और अंत उपयोगकर्ता के बिंदु तक इनपुट क्रेडिट प्रवाह में आ जाता है। नतीजतन, दोनों शुल्कों के साथ एक अलग व्यवहार का औचित्य है। आई. जी. एस. टी. लगाया जाता है

70. उच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए राजी किया गया कि आई. डी. 1 की बाद की अधिसूचना ने 'पूर्व-आयात शर्त' को वापस ले लिया जिसका अर्थ था कि संघ ने स्वयं इसकी अव्यवहारिक और व्यवहार्य प्रकृति को मान्यता दी, और परिणामस्वरूप इस शर्त पर उस अवधि के लिए जोर नहीं दिया जाना चाहिए जब यह मौजूद थी, अर्थात आई. डी. 2 के बाद। इस अदालत की राय है कि तर्क त्रुटिपूर्ण है। अब यह तय हो गया है कि एफ़. टी. पी. आर. ए. में पूर्वव्यापी विनियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है। बाद की अधिसूचना का निर्माण 10.01.2019 आई. डी. 1 से प्रभावी होने के नाते यह इसके अस्तित्व की तारीख से पहले की तारीख से प्रभावी होगा; दूसरे शब्दों में, न्यायालय पूर्वव्यापीता प्रदान करेगा। विदेश व्यापार महानिदेशक और

ओआरएस। v कनक निर्यात और अन्य 3 8 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

" अधिनियम की धारा 5 केंद्र सरकार को विशेष रूप से ऐसे नियमों को पूर्वव्यापी बनाने की कोई शक्ति नहीं देती है। नहीं।

संदेह है, यह धारा केंद्र को शक्तियां प्रदान करती है

सरकार उपरोक्त प्रावधानों के तहत बनाई गई नीति में 'संशोधन' करेगी। हालांकि, यह अपने आप में होगा

38 2015 (15) एससीआर 287।

इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह का प्रावधान सरकार को अधिकार देता है

ऐसा पूर्वव्यापी करें।

71. व्याख्या के माध्यम से 10.01.2019 की अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देना, वह हासिल करना होगा जो कानून में अस्वीकार्य है। इसलिए, विवादित निर्णय को इस आधार पर भी कायम नहीं रखा जा सकता है। 72. यह अदालत पुरानी कर व्यवस्था के तहत धनवापसी की पात्रता के सवाल पर अपने हालिया फैसले को याद करती है, जिसे शामिल कर लिया गया था और जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यवसाय प्रभावित हुए थे। चुनौती को नकारना

जी. एस. टी. के प्रावधानों की संवैधानिकता के लिए, यह भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य में आयोजित किया गया था। वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया प्रा. लिमिटेड 3 9. कि -

" धनवापसी का दावा कानून द्वारा नियंत्रित होता है। धनवापसी मांगने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। संसद ने पहले परंतुक के खंड (i) में कर के भुगतान के बिना की गई शून्य दर वाली आपूर्ति के मामले में अप्रयुक्त आई. टी. सी. के धनवापसी की अनुमति दी है। पहले परंतुक के खंड (ii) के तहत, संसद ने अप्रयुक्त आई. टी. सी. की वापसी की परिकल्पना की है, जहां निवेश पर कर की दर के कारण ऋण जमा हुआ है। उत्पादन आपूर्ति पर कर की दर से अधिक। जब न तो कोई संवैधानिक गारंटी है और न ही धनवापसी के लिए कोई वैधानिक पात्रता है, तो यह निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वस्तुओं और सेवाओं को अनिवार्य रूप से अप्रयुक्त आई. टी. सी. के धनवापसी के मामले में समान माना जाना चाहिए। इस तरह की व्याख्या, यदि इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाता है, तो इसके अप्रत्याशित परिणाम शामिल होंगे, जो इसके विधायी विवेक को सीमित करते हैं।

संसद कर, रियायतों की दर तय करेगी और छूट। यदि न्यायपालिका ऐसा करती है, तो यह चलाएगी

विधायी विकल्पों और नीतिगत निर्णयों पर अतिक्रमण का जोखिम जो कार्यपालिका का विशेषाधिकार है।

73. इस अदालत की राय में, धनवापसी पर क्या लागू होता है,

जिसे वैध रूप से कम किया जा सकता है) छूट पर समान रूप से लागू होता है। यह बन्नारी अम्मान शुगर लिमिटेड बनाम बन्नारी अम्मान शुगर लिमिटेड में आयोजित किया गया है। वाणिज्यिक कर

अधिकारी और अन्य ने कहा कि यदि कोई कर रियायत है, तो इसे "किसी भी समय वापस लिया जा सकता है और इसे वापस लेने से पहले किसी समय सीमा पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए"।

39 2021 (15) एससीआर 169। 40 2004 (6) पूरक। एससीआर 264।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. कॉस्मो फ़िल्म्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भाट, जे.]

74. टिप्पणीकारों और अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि कैसे जीएसटी की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण कर सुधारों में से एक था

भारत द्वारा लिया गया। यह बैठकों और वार्ताओं की एक श्रृंखला से पहले था, जिसमें राज्यों और विभिन्न अन्य एजेंसियों की चिंताओं को समायोजित किया गया था। इसने एकल कर द्वारा संचालित एक एकीकृत बाजार की शुरुआत की है, राज्यों में विभिन्न बाजारों को अलग-अलग शुल्कों के साथ परिवर्तित किया है और शासन के सिद्धांत। इसने विभिन्न राज्यों के बीच माल की आवाजाही को सुचारू बना दिया है। जी. एस. टी. के आगमन से पहले, संघ वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाता था; और राज्य वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाते थे। जी. एस. टी. के साथ, केंद्र और राज्य दोनों वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ण मूल्य श्रृंखला के करों को साझा करने के हकदार हैं। इस तरह का परिवर्तन दर्द रहित नहीं हो सकता है; व्यवधान-विशेष रूप से शुरुआत में महसूस किया जाएगा। फिर भी, कि एकीकरण की प्रक्रिया में, यदि व्यवसाय का एक निश्चित खंड है

असुविधाजनक, और करों का भुगतान करना होगा (जो शुल्क के रूप में मौजूद हैं, नए शुरू किए गए हैं) और स्वतंत्र रूप से इनपुट (निर्यात के उद्देश्य के लिए) आयात करने की उनकी क्षमता पर शर्तें लगाई जाती हैं, यह अकेले अदालत का नेतृत्व नहीं कर सकता है

यह निष्कर्ष निकालना कि ऐसा परिवर्तन अनुचित या मनमाना है।

75. पूर्वगामी कारणों से, इस न्यायालय का मानना है कि राजस्व को सफल होना है। गुजरात उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेशों को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि, चूंकि प्रतिवादी अंतरिम आदेशों का आनंद ले रहे थे, जब तक कि विवादित निर्णय नहीं दिए गए, राजस्व को उन्हें धनवापसी या इनपुट क्रेडिट (जो भी लागू हो और/या जहां भी सीमा शुल्क का भुगतान किया गया हो) का दावा करने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा करने के लिए, प्रतिवादी क्षेत्राधिकार आयुक्त से संपर्क करेंगे, और इस निर्णय की तारीख से छह सप्ताह के भीतर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ आवेदन करेंगे। धनवापसी/ऋण के दावे की मामले-दर-मामले आधार पर उनके गुण-दोष के आधार पर जांच की जाएगी। सुविधा के लिए, राजस्व इस संबंध में एक परिपत्र के माध्यम से, सुविधाजनक रूप से, उचित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश देगा।

76. उपरोक्त शर्तों के अधीन राजस्व की अपीलों की अनुमति है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे (सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए)